सेक्यूलरवाद

चौधरी मालसिंह एम.ए., एल.एल.बी.

आलोक प्रकाशन
बीकानेर

मुख्य वितरक
शिक्षा सदन
जोगीवाड़ा, बीकानेर

प्रकाशक
श्यामसुन्दर व्यास
आलोक प्रकाशन, बीकानेर

लेखक
चौ० मालसिंह
प्रधानाध्यापक
रा० उ० मा० विद्यालय
पोकर क्वार्टर्स, बीकानेर

मूल्य : ४'००

आवरण
सी. पी. माथुर

मुद्रक
गोपाल प्रिंटिंग प्रेस
कोटगेट, बीकानेर

SECULARVAD BY CHODHARY MALSINGH

पुस्तक के बारे में :

धर्मनिर्पेक्षता (Secularism) इतनी सामान्य और निकट की अवधारणा है कि न इसमें कहीं उलझन लगती है, न किसी प्रकार की पेचीदगी। लेकिन स्थिति यह है कि इसकी प्राप्ति दुर्लभ है। चौधरी मालसिंह ने इस विषय को अपनी पुस्तक का कथ्य बनाकर अच्छा ही किया। चौधरी साहब की विशेषता है कि वे सारांश तक पहुंचने के लिए तथ्यों का आधार लेते हैं। इससे एक लाभ पाठक को होता है। वह विषय की वैचारिक तथा ऐति-हासिक पृष्ठभूमि से परिचित हो जाता है। लेकिन ऐसे

विषय, जिनका सीधा सम्बन्ध राजनीतिक तथा सामाजिक समस्याओं से हो और जिनके सही रूप को अपनाने से किसी राष्ट्र के चेहरे के बदल जाने की सम्भावना हो, उनसे सम्बन्धित निष्कर्षों को पाठक जिज्ञासापूर्वक जानना चाहता है। लेखक को इस पक्ष के लिए सतर्क होना पड़ता है और कभी कभी बहुत साहसी।

मुझे खुशी है कि चौधरी मालसिंह ने इस उत्तरदायित्व को पूरी तरह से निभाया है। फलस्वरूप पुस्तक का महत्व और अधिक बढ़ गया है। आशा है पाठक भी इस अच्छी कही जा सकने वाली पुस्तक को पढकर लाभ उठाएंगे। मैं चौधरी जी को उनके प्रयास के लिए धन्यवाद देता हूं।

स. ना. आचार्य

सचिव

राजस्थान समाजशास्त्री समिति, बीकानेर

प्रकाशकीय

आलोक प्रकाशन आपकी सेवा में चौधरी मानसिंह जी की छोटी पुस्तक उपस्थित कर रहा है । चौधरी मानसिंह की लेखनी सशक्त है और उनका विचारक तथ्यान्वेषी तथा साहसी है । वह अपने विषय को गम्भीरता तथा रोचकता से प्रस्तुत करते हैं । प्रस्तुत पुस्तक में विद्वान लेखक ने धर्मनिरपेक्षता (Secularim) जैसे बहुचर्चित विषय पर अपने विचार रखे हैं । उसने केवल भारत की धर्मनिरपेक्षता तक अपने विषय को सीमित नहीं रखा है । उसने अन्य राष्ट्रों की धर्मनिरपेक्षता को भी कसौटी पर कसा है ।

आशा है हमारे सहृदय पाठक इस पुस्तक का भी उसी तरह स्वागत करेंगे जैसा हमारी अन्य पुस्तकों का स्वागत करते रहे हैं । धन्यवाद ।

लेखक की अन्य रचनाएं

- ★ नादेवाला
- ★ राजकाज की बातें
- ★ पंचशील
- ★ राजस्थान में पंचायत राज
- ★ राजस्थान के पेड़-पौधे : जीव-जन्तु
- ★ राजस्थान का पशु-धन तथा गांवों की अर्थ व्यवस्था
- ★ जंगलपुरी का हैडमास्टर

सेक्यूलरवाद

सेक्यूलरवाद

सेक्यूलरवाद समाज की, सेक्यूलर राज्य को और सेक्यूलर व्यक्तियों को आवश्यकता मध्य युग में भी थी और आज भी है। आज ज्यादा है क्योंकि आज कोई भी समाज एक मजहब का मानने वाला नहीं है। प्रत्येक राज्य में, समाज में और देश में कई धर्म, कई जातियां और कई बोलियां मिलेगी। सेक्यूलरवाद की कमी के हालत में, उस राज्य में निरन्तर झगड़ा होगा। अशान्त होगी। भारत में जैसे बहुत धर्म है। यदि भारतवासी अपने-अपने धर्मों को श्रेष्ठ माने, दूसरे भारतीय लोगों के धर्म को गौण और घटिया समझें, जीवन के विभिन्न पहलुओं को धार्मिक दृष्टि से देखें, मूल्यों का नाप तोल धार्मिक मीटरों से करें। तो फिर भारत एक राष्ट्र के रूप में अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकेगा। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धार्मिक भावना से प्रेरित होने से हम किसी भी बात में एक मत नहीं होंगे। यहां तक कि देश की सीमा की रक्षा करने में भी एक मत नहीं हो सकेंगे।

यू. एस. ए. यानि अमेरिका में काले गोरे का भेद यानी जातीय भेद भी सेक्यूलरवाद को कमी की वजह से है। यूरोपीय देशों में ईसाइयों और यहूदियों का झगड़ा भी सेक्यूलर भावना की कमी से था हिटलर की जर्मनी में यह मजहबी एवं जातीय झगड़ा सीमा पार कर गया था।

मध्ययुग की जरूसलम की क्रुसेड मशहूर है। मध्ययुग के अन्त में व

आधुनिक युगके शुरू में योरपमें धार्मिक विवाद फिर जोरों पर हुआ सोलहवीं और सतरहवीं शताब्दो में इसाई धर्म में कई शाखायें और उप शाखायें हो गई। इन सम्प्रदायों में झगड़े होने लगे। अल्पसंख्यकों ने योरप छोड़ा और नई दुनिया बसाई। कनेडा, और यू. एस. ए. नामक दो देश इसो तरह अस्तित्व में आये। भूमध्य सागर में साइप्रस का उदाहरण नया है। साइप्रस में ग्रोक और टर्क आपस में सेक्यूलरवादी दृष्टिकोण न होने से लड़ते हैं। दक्षिणी अफ्रोका का जातीय भेद-भाव जगत प्रसिद्ध हो गया है।

आज के दिन महजबों जातियां, बोलियां तथा संस्कृतियों का सबसे बड़ा अजायबघर भारत है। भारत में विश्व के बड़े-बड़े सभो मजहब हैं। सबसे ज़्यादा हिन्दू है और दूसरा नम्बर मुसलमानों का है ईसाई भो कम नहीं है। सिक्ख भो है साथ ही हिन्दुओं में जो जातोयां है वे भी राष्ट्रीय एकता में बाधक हैं। हिन्दुओं में आर्य समाजी, सनातनगो आदि उप शाखायें पाई जातो है। राष्ट्रोयता एकता की खातिर, सामाजिक जोवन में सुख शान्ति की खातिर जितने सेक्यूलरवाद की आवश्यकता जितनी भारत को है उतनी क़िसी दूसरे समाज को नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतन्त्र यदि सेक्यूलरवाद को नहीं अपनाता है तो लोकतन्त्र को खतरा, भारतोय समाज को खतरा, भारतोय राष्ट्र को खतरा है। भारतोय समाज के समाजिक जीवन को खतरा है।

सेक्यूलरवाद का अर्थ क्षेत्र

पिछले पाठ में लिखा गया है कि सेक्यूलरवाद की समाज को, देश को तथा राष्ट्र को जरुरत क्या है। विशेष कर भारत को क्या जरुरत है। सेक्यूलरवाद के सिद्धांतों को हम अपने जीवन में बरतें, जीवन के सब क्षेत्रों में, पक्षों में, पहलुओं में सेक्यूलरवाद के सिद्धांतों को लागू करते हुये, बाधक तत्वों का त्याग करें। इसके लिये जरूरी है कि हम सेक्यूलरवाद के अर्थ को परिभाषित करें। सेक्यूलरवाद के स्कोप (Scope) को जाने।

सेक्यूलरवाद को (SECULARISM) को इस समय कई अर्थों में लिया जा रहा है। इसके विभिन्न अर्थ निम्न प्रकार से हैं।

(१) अधिकांश लोगों को पसन्द आने वाला अर्थ है कि हम अपने अपने मजहबों को पूरे तरीकों से मानते और मनाते रहे और साथ ही साथ दूसरे मजहबों को और मजहब मानने वालों से नफरत न करें। दूसरे मजहबों के प्रति सहनशीलता और सहिष्णुता का अर्थ अपनाये। अर्थात् सहनशीलता का नाम ही सेक्यूलेरिज्म है। दूसरे मजहबों को सहते रहो, बस सेक्यूलरवाद का पालन हो जावेगा।

(२) इसी प्रकार अधिकांश लोग यह मानते हैं कि राज्य तटस्थ होना चाहिये। राज्य यानी सरकार और सरकारी अफसर और अधीनस्थ सरकारी संस्थायें धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करें। किसी एक मजहब को समर्थन न दें। कोई राजकीय मजहब नहीं होना चाहिये। यह अर्थ भी एक प्रकार का सहनशीलता वाला सिद्धांत ही है। सरकार सभी मजहबों को सहिष्णुता की तटस्था की दृष्टि से देखें। सरकार सामूहिक रूप में किसी मजहब को न माने, पर सरकार के सदस्य अपने अपने महजबों के अनुसार पूजा पाठ में लगे रह सकते हैं। इस अर्थ के अनुयायी यह कहते हैं कि सेक्यूलरवाद का जनता से कोई सम्बन्ध नहीं है। जनता का दृष्टिकोण सेक्यूलर हो या न हो। बस आवश्यक इतना ही है कि सरकार तटस्थ हो, सरकार का अपना सामूहिक मजहब न हो। सरकार किसी एक धर्म के पक्ष या विपक्ष में हस्तक्षेप न करे। साम्प्रदायिक दंगे हो जाये तो उन्हें शान्त करदे अलग अलग करदे। मध्य युग के अन्त में और आधुनिक युग के शुरू में योरुप में सेक्यूलरवाद का अर्थ यही था।

(३) जहां तक साधारण जनता का और साधारण व्यक्तियों का सम्बन्ध है। सेक्यूलरवाद अर्थ ऊपर लिखे दो अर्थों में ही सीमित है। यह कि जनता और सरकार के सदस्य अपने अपने मजहबों को पूरे मध्य युगीन सज धज के साथ मानते रहें, परन्तु दूसरे मजहबों के प्रति सहनशीलता का दृष्टिकोण अपनावें।

(४) विशिष्ट लोग कहते हैं कि सेक्यूलरवाद का यह अर्थ संकीर्ण है। यह केवल प्रारम्भिक अर्थ है। ऊपर लिखे दो अर्थों से इस विचार का प्रारम्भ हुआ था। पर आज के समाज में, विकसित समाज में, यह अर्थ बहुत ही अपर्याप्त है। इस मत के अनुयायी कहते हैं कि ऊपर के दो अर्थों में लिया जाने वाला अर्थ नकारात्मक है, निष्क्रिय है।

पैसिव है । सकारात्मक और सक्रिय नहीं है ।

आज के विकसित समाज के लिये, सेक्यूलरवाद का विकसित अर्थ क्या होना चाहिये, यह आगे के पाठ में पढ़ा जा सकता है । आगे के पाठ में बताया और समझाया गया है कि आज का समाज यह नहीं मानता कि समाज के ऊपर कोई शक्ति है जो समाज के फैसलों को विटो करती है, निषेध करती है । जब हम अपने समाज को प्रभुता संपन्न मानते हैंतो यह भी मानना चाहिये कि वर्ण और जातियां समाज की बनाई हुई है । मानव जातियां भी Races समाज की बनाई हुई हैं । इसलिये आज ये कुरीति बन गई है और इन्हें मिटा देना चाहिये ।

: तीसरा पाठ :

सेक्यूलरवाद का सही अर्थ, क्षेत्र

मध्ययुगी सजधज के साथ, पूरे रीति रिवाजों सहित, जुलुस निकाल निकाल कर, प्रदर्शनी लगा कर, गला फाड़ फाड़ कर, लोग अपने मजहबों को मनाते रहें और दूसरे मजहबों का आदर करते रहे और इस प्रकार सेक्यूलरवाद को निभाते रहें और देश में साम्प्रदायिक मनमुटाव न हो, साम्प्रदायिक सुख चैन बना रहे, यह सोचना एक पाखंड ही होगा। मह्जबी प्रदर्शन होते रहें और मजहबी राग द्वेष न फैले यह नहीं हो सकता। एक दूसरे के मह्जबों को, मजहबी रीति रिवाजों को हम लोग सारे मध्ययुग में और सारे आधुनिक युग में हजार बरस से भी ज्यादा इतनी घृणा और नफरत कर चुके हैं, कि मजहबी प्रदर्शनी दूसरे सम्प्रदाय की जनता में फौरन नफरत भरी, घृणामयी प्रतिक्रिया पैदा करेगा। इसलिये हमें मह्जबी प्रदर्शन को दूर करना चाहिये। मह्जबी संस्थायें हटा देनी चाहिये संस्थागत मजहब, मजहब का सामाजिक स्वरूप हट जाना चाहिये। व्यक्तिगत रूपमें पूजा पाठ किया जा सकता है, ईश्वर की उपासना की जा सकती है। कुछ समय मौन रह कर अपने ईश्वर को स्मरण किया जा सकता है। ऐसा प्रचार राष्ट्रीय स्तर पर शुरु हो जाना चाहिये।

यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि जनता गांधी नहीं बन सकती। सब आदमी महात्मा गांधी बन जाये, तो सेक्यूलरवाद निभाने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती। महात्मा गांधी अपने मजहब को पूर्ण रूप से मानते थे। साथ ही दूसरे सब मजहबों का आदर करते थे। सब धर्मानुयायियों का आदर करते थे। सबसे भ्रातृभाव रखते थे। यह सही है। लेकिन जनता महात्मा नहीं बन सकती। करोड़ों में एक महात्मा मिल सकता है। इसलिये सेक्यूलरवाद को स्थापित करने के लिये, हमें मजहबी क्षेत्र को सीमित करना होगा। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि हमें नेहरूवाद पर बल देना चाहिये। हमें नेहरू टाइप सेक्यूलरवाद चाहिये। नेहरू टाइप नागरिक पैदा करने चाहिये। यदि प्रचार करें और प्रयत्न करे, कोशिश करे तो ऐसा हो सकता है। यह मान कर नहीं चलना चाहिये कि यह असम्भव है। असम्भव तो यह है कि हम धार्मिक रीति रिवाजों का प्रदर्शन करें और यह सोचें कि इसकी उल्टी प्रतिक्रिया नहीं होगी।

आज से तीन सौ बरस पहले योरप में यह स्वीकार कर लिया गया था कि सरकार का कोई मजहब नहीं है। इस मान्यता को थोड़ा और विस्तृत किया जाय और यह स्वीकार कर लिया जाय कि सरकार के सदस्यों का कोई मजहब नहीं। जो व्यक्ति मिनिस्टर बने, राष्ट्रपति बने, वह यह शपथ ले कि वह रीति रिवाजों वाले मजहब को नहीं मानेगा और इस बात को भी नहीं मानेगा कि मानव तथा मानव समाज के कार्यों में कोई दैवी हस्तक्षेप होता है। नेहरू के विचार ऐसे ही तो थे। वे आदर्श सेक्यूलरवादी थे। किसी मजहब को नहीं मानते थे और न ही मानव तथा मानव समाज के कार्यों में किसी मानव से ऊंची शक्ति का हस्तक्षेप मानते थे। लेकिन यह बात भी उनमें थी कि वे किसी मजहब को काट भी नहीं करते थे। सरकार के सदस्यों के

लिये पूजा पाठ वर्जित है, वैसे ही सरकारी संस्थाओं से पूजा पाठ बन्द होना चाहिये। आज जो रेडियो पर रोज सवेरे के समय ईश वन्दना आती है, वह सेक्यूलरवाद के विरुद्ध है और साम्प्रदायिक एकता में बाधक है।

तो फिर सेक्यूलरवाद का क्या अर्थ हुआ। अर्थ साफ है। अठारहवीं सदी के विचार को थोड़ा विकसित करके उसका सक्रिय प्रचार होना चाहिये। वह यह कि मजहब राष्ट्रीय एकता में बाधक है। इसलिये सच्चा देश भक्त वह है जो किसी मजहब को नहीं मानता। ईश्वर जैसी किसी शक्ति में विश्वास रख सकता है। पर उसकी पूजा-पाठ नहीं कर सकता। और उससे सहायता नहीं मांग सकता। ईश्वर से सहायता मांगना ऐसा ही माना जाये जैसा कि अमरीकी सेना से सहायता मांगना। दैवी शक्ति पर आश्रित रहने का विचार देश को प्रभु सम्पन्नता में कमी होना माना जाये और उस व्यक्ति को देश भक्त न माना जाये। दैवी हस्तक्षेप को मानने वाला व्यक्ति देश को दो नुकसान पहुंचाता है। एक यह कि वह अपने राष्ट्र से ऊपर किसी दूसरी ऊंची शक्ति को मानता है जो उस राष्ट्र के निर्णयों पर, फैसलों पर वीटो (Veto)का अधिकार रखता है। निषेधाधिकार रखता है। दूसरा यह कि यह साम्प्रदायिकता का पालन पोषण करता है। दूसरे, मिनिस्टर जो बनेगा वह अपनी शपथ में यह भी शामिल करेगा कि वह सामूहिक रूप में किये जाने वाले किसी पूजा पाठ में शामिल नहीं होगा। यह बात हमें सदा याद रखना चाहिये कि नेहरू के सेक्यूलरवाद पर सब लोगों का, नागरिकों का अटूट और अडिग विश्वास था। मजहबी व्यक्ति के सेक्यूलरवाद को जनता शक की दृष्टि से देखती है। मजहबी नेता के सेक्यूलरवाद को पाखन्ड माना जाता है। उसका कोई भरोसा नहीं। वह अवसरवादी है। अगर कोई नेता शक से ऊपर उठना चाहता है तो उसे नेहरू टाइप सेक्यूलरवाद अपनाना होगा।

: चौथा पाठ :

विकास मार्ग पर मजहब का स्थान

जहां धर्मनिरपेक्षता का वर्णन हो, वहां धर्म का जिक्र भी आवश्यक है। धर्म के मूल तत्व, धर्म नाम की संस्था की उत्पति, मानव समाज के विकास में धर्म का योगदान, वर्तमान समय में धर्म संस्था का विकास प्रक्रिया में बाधक होना आदि पर लिखना जरुरी है जिससे सेक्यूलरवाद का, आज के समाज में, स्थान स्पष्ट हो जाय। सबसे पुराना मजहब वैदिक मजहब है और ऋग वेद में लिखी बातें सबसे पुरानी मजहबी बातें हैं। उन बातों पर विचार करने से मालूम होता है कि मजहब की उत्पति दैवी शक्ति में विश्वास से हुई। दूसरी बात यह देखते हैं कि मानव ने यह माना कि यह दैवी शक्ति मानव कल्याण में संलग्न है। हवा, अग्नि, बिरखा, पानी, प्रकाश आदि उपयोगी चीजे मानव को किसी शक्ति ने प्रदान की है। दैवी शक्ति का अस्तित्व और उस दैवी शक्ति द्वारा मानव के कार्यों में हस्तक्षेप, विशेषकर मानव के पालन पोषण और कल्याण में भाग लेना।

धर्म संस्था के कार्यों का विकास होते होते यहां तक हुआ कि ईश्वर को जगन्नियन्ता के रूप में, संचालक के रूप में माना जाने लगा। प्रकृति और समाज दोनों के कार्यों का संचालन ईश्वर करता

है, ऐसी मान्यता सभी की हो गई। ईश्वर को जब संचालक मान लिया गया तो संचालन कार्यों में बाधा और सहायता देने वालों के लिये दण्ड और इनाम की व्यवस्था कायम हुई। स्वर्ग और नर्क आदि की व्यवस्था भी की गई। कुदरत और मानव समाज सब ईश्वर की रचना है। इसलिये सब ईश्वर के बच्चे हैं। सब आपस में भाई भाई हैं और भाई भाई की तरह ही सबको रहना चाहिये। ईश्वर दयालु है। मानव भी एक दूसरे के प्रति दयालु रहे। दीन दुखी को सहायता करना ईश्वर की कृपा का पात्र होना है, ऐसा माना जाने लगा।

इस प्रकार धर्म की उत्पत्ति, धर्म का उदय मानव समाज की आवश्यकता की पूर्ति के लिये हुआ। धर्म मानव समाज के निर्माण में सहायक हुआ है। एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे को भाई समझना, जन कल्याण के लिये सार्वजनिक संस्थायें कायम करना, आदि सभी धर्मों का मुख्य काम रहा है। ईसा, मुहम्मद साहब, बुद्ध महाराज, महावीर जी, गुरु नानक देव आदि सभी धर्म प्रवर्तकों ने मानव की सहायता के लिये, समाज को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिये, दया बरतने के लिये अपनी अपनी विचार व्यवस्थायें चलाई।

उद्देश्य ठीक था और उद्देश्य की प्राप्ति के लिये जो नियम कायदों की रीति रिवाजों की व्यवस्थायें बनाई वे भी ठीक थी। समाज निर्माण में, मानव का मानवीकरण करने में, धर्म का बहुत बड़ा सहयोग रहा है और यह कहा जाये कि एकमात्र सहयोग रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह कहना कि शोषकों ने शोषण व्यवस्था को कायम रखने के लिये धर्म संस्था नाम करे। अफीम का आविष्कार किया, नितान्त गलत है, भ्रामक है। समाज के विकास मार्ग के इतिहास में जितनी भी व्यवस्थायें कायम हुई, वे सभी समाज

के विकास में सहायक हुई। समाज शास्त्री और विशेष कर मार्क्सवादी समाज शास्त्री सामंतवाद और पूंजीवाद की आज दिन बुराई करते हैं। विशेष कर सामंतवाद की सभी बुराई करते हैं। लेकिन समाज के विकास मार्ग में सामंतवाद एक आवश्यक मंजिल थी। और सामंतवाद से पहली मजिल यानी दास प्रथा से अधिक अधिक अच्छी थी, अधिक प्रगतिशील थी। इसी प्रकार सामन्तवाद के पिछड़ जाने पर पूंजीवाद का गुण-गान होने लगा। यह सही है कि धर्म का उदय कोई अलग समाज व्यवस्था नहीं थी। पर जो भी व्यवस्था थी, उसी व्यवस्था के कठोर पहलुओं को कोमल बनाने में धार्मिक उपदेश बहुत सहायक थे। शोषण और उत्पीड़न की तेज धार को कम करने में सभी धर्म सहायक रहे हैं।

लेकिन सामन्तवाद ने पूंजीवाद ने और इसी प्रकार पहले की सभी सामाजिक व्यवस्थाओं ने अपनी जरूरतें पूरी की और लुप्त हुई। इसी प्रकार अब समय आ गया है कि आज की धार्मिक संस्थाएं भी अब लुप्त हो जाय। किसी भी संस्था या व्यवस्था के पिछड़ जाने पर उस पर प्रहार करने पड़ते हैं। उस अधमरी व्यवस्था से, संस्था से संघर्ष करना पड़ता है। इस संघर्ष से ही वह बिना नुकसान पहुंचाये गायब होगी। भारत में सामन्तवाद १९४७ और १९५६ के बीच संघर्ष करने से ही खत्म हुआ। नहीं तो मरता मरता समाज को दुःख देता रह सकता था। समाज के संचालन के लिए दूसरे सेक्यूलर नियम कायदे बन गये हैं। सेक्यूलर से नैतिक सिद्धांत ढूंढ निकाल लिये गये हैं। अब स्टेज ऐसा आ पहुंचा है कि धर्म से सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है।

मजहब की चर्चा छोड़ने से पहले मजहबी विशेषता पर एक रोचक प्रवृति जान लेनी चाहिये। यह रोचक प्रवृति यह है कि मजहब

अपनी मजहबी बातों के उन पक्षों पर बल देता है जो उसकी विशिष्ट बातें होती है । समान बातों के यानी उन बातों को जो अन्य धर्मों में पाई जाय और समाज की आम सम्पति हो, उसे वह मजहब अपनी चीज नहीं समझता । उदाहरण के लिए–चोरी, झूठ, ठगबाजी, सेक्स और सम्पत्त के अपराध, ईश्वर में विश्वास आदि पर कोई मजहब बल नहीं देगा क्योंकि इन पर तो सभी बल देते हैं । पूजा पाठ के तरीके मजहबों के विभिन्न हैं । सो इन विभिन्नताओं पर जोर होगा । सो मजहब की प्रकृति हमें मालूम हुई । वह यह कि मजहब विभिन्नताओं पर बल देते हैं । समानताओं पर बल नहीं देते । मन्दिर की शकल, मस्जिद की शकल, गुरुद्वारे की शकल, मुल्ला, पंडितों की वेशभूषा आदि अधिक जरूरी है । मानव मात्र पर सहानुभूति रखना, सेक्स, सम्पति के अपराध न करना, इन बातों की कोई परवाह नहीं करता । इसीलिए साम्प्रदायिक झगड़े होते हैं ।

समाज के संचालन के लिये आजकल धार्मिक बंधनों की धार्मिक रीति-रिवाजों की जरूरत नहीं । आजकल के राज्य ने सब किस्म की जिम्मेवारियां और सब किस्म के काम अपने हाथ में ले लिये हैं । देश का सिविल कानून काफी व्यापक बना दिया गया है । समाज में सब तरह के समुदाय पाये जाते हैं कहीं ट्रेड यूनियन, कहीं अध्यापक संघ, कहीं वकील संघ, कहीं छात्र संघ । प्रत्येक नागरिक किसी न किसी समुदाय का सदस्य होता है । दूसरे शब्दों में कह सकते है कि हमारा जीवन बहुत कुछ सेक्यूलर हो गया है । समाज को अच्छे ढंग से चलाने के लिए अब धर्म की जरूरत नहीं रही । एक समय था जब धर्म ही मनुष्य को उचित सीमा में रख कर सामाजिक जीवन में सहायता करता था । सिविल कानून और सिविल समुदाय उस समय नहीं थे । अब समय आ गया है कि हम लोग थोड़ा सक्रिय

संघर्ष करे तो यह अवमरी संस्था मिटाई जा सकती है। और भारतीय जीवन सुखमय बनाया जा सकता है।

इस पाठ का सारांश

अब समय उपयुक्त है कि लोकमत के नेता अपनी राय स्पष्ट व्यक्त कर दें कि धर्म एक अंध विश्वास है। परन्तु एक चौथाई मजहब को छूट अभी दे देनी चाहिये। केवल एक निराकार और निर्विकार ईश्वर को माना जा सकता है। देवी-देवता, मंदिर-मस्जिद, रीति-रिवाज, त्यौहारों का प्रदर्शन आदि बंद हो जाने चाहिये। यानी नेता लोग इन प्रदर्शनों में शामिल न हो। जात-पांत, पुराने मजहबी त्यौहार, रेसिज आदि सब अंध विश्वास है। एक बात और ध्यान में रखना चाहिये कि ईश्वर को प्रार्थना भी सामुहिक नहीं होनी चाहिये। उदाहरण के लिए स्कूलों में की जाने वाली प्रार्थना धर्म-निरपेक्षता के विरुद्ध है। स्कूल की प्रार्थना बंद हो जानी चाहिये और स्कूलों में मनाये जाने वाले त्यौहार और धार्मिक नेताओं के उत्सव बन्द हो जाने चाहिये।

: पांचवां पाठ :

सरकार और सेक्यूलरवाद

देश की सीमाओं की रक्षा करना, आंतरिक कानून और व्यवस्था को कायम रखना, जनता को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दशा सुधारना तथा दूसरे काम करना जिससे देश की प्रगति हो, सरकार का काम है। ठीक इसी प्रकार सेक्यूलरवाद का प्रचार करना सरकार का काम है क्योंकि सेक्यूलरवाद सरकार के हित में है। मजहबी प्रेक्टसिज की छूट देने से देश का अहित होता है, देश को नुकसान होता है। इसलिए धार्मिक प्रदर्शन, धार्मिक रीति-रिवाजों की पूरी पालना पर पाबन्दी होनी चाहिये। त्यौहारों के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध होना चाहिये। यहां पर प्रश्न यह उठता है कि सेक्यूलरवाद का प्रचार करना, सेक्यूलरवाद के हित में कानून कायदे बनाना, भारतीय जीवन का सेक्यूलरीकरण करना, क्या सेक्यूलरवाद के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है? रूढ़िवादी सेक्यूलरवादी यह कहेंगे कि मजहबी मामलों में हस्तक्षेप करना सेक्यूलरवाद के विरुद्ध आचरण है। यह अठारहवीं सदी की बाल्य भावना है। आज के दिन राज्य के काम इतने बढ़ गये हैं कि समाज के हित में राज्य कुछ भी कर सकता है। उस समय तो राज्य आर्थिक मामलों में, सामाजिक और वैवाहिक

मामलों में हस्क्षेप नहीं कर सकता था। पर आज व्यापार में, उद्योग में, वित्त में, द्रव्य में सब में सरकार का हस्तक्षेप है। जीवन का कोई भी पक्ष, पहलू ऐसा नहीं जहां सरकार के हस्तक्षेप की मनाही हो। आज जब साम्प्रदायिकता देश की अखंडता पर प्रहार करती है, सामाजिक सुख चैन पर प्रहार करती है, कानून और व्यवस्था पर प्रहार करता है, तो राज्य को चाहिये कि वह देश के हित में धार्मिक प्रवृ तयों पर पाबंदी लगाये। उदाहरण के लिए स्कूल की पढाई ईश वन्दना से शुरू क्यों हो? स्कूल तो सेक्यूलरवाद का आदर्श वातावरण कायम करे। अकबर और प्रताप के संघर्ष को पाठ्य पुस्तकों में लेकर उसे प्रमुखता क्यों दी जाये? भारत में मुसलमानी राज को विदेशी राज और विधर्मी राज मान कर. उस मध्य युगी वातावरण को क्यों जागृत किया जाय? पुराने गीत क्यों गाये जायें जबकि उन गीतों में मौजूदा तत्वों का हाथ नहीं पाया जाता है। क्यों न आधु-निकता पर जोर दिया जाये? पुरानी बातें वे ही उखाड़ी जायें जो सेक्यूलर हों और मजहबी रंग से विकृत न हो गयी हों।

यहां एक दूसरा प्रश्न उठता है कि संविधान में दी हुई धार्मिक स्वतंत्रता पर रुकावट डालना क्या संविधान के विरुद्ध आचरण तो नहीं है? नहीं! ऐसा कुछ नहीं है। जानकार पाठक शायद संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल २५ (पच्चीस) को याद करके कहेंगे कि संविधान हस्तक्षेप की मनाही करता है। परन्तु यह ध्यान देने लायक बात है कि इसी अनुच्छेद २५ में स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था के हित में, स्वास्थ्य और नैतिकता के हित में सरकार कानून बना कर सब तरह के प्रतिबन्ध लगा सकती है। इसी प्रकार (आर्टिकल २६) अनुच्छेद छब्बीस में भी लिखा है कि लोक हित में सरकार प्रतिबन्ध लगा सकती है। बारीकी से देखा जाय तो

अछूत लोगों के पक्ष में जो संविधान में दिया गया है, वह भी धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध है क्योंकि अछूत लोग चौथा वर्ण यानी शुद्र है। चार वर्णों में से एक वर्ण है। और वर्ण व्यवस्था हिन्दु धर्म की आधार शिला है। पर संविधान ने इस बात को परवाह न करते हुए अनुच्छेद (१७) सतरह में अछूतपने को दण्डनीय माना हैं।

: छठा पाठ :

संविधान और सेक्यूलरवाद

संविधान में एक पूरा अध्याय मूल अधिकारों पर दिया है। इन्हीं मूल अधिकारों में धार्मिक मूल अधिकार भी दिये है। ये धार्मिक मूल अधिकार अनुच्छेद (२५ पच्चीस से अनुच्छेद (३०) तीस तक दिये हैं। मजहबी मामलों में पूरी आजादी संविधान ने दे रखी है। भारत का संविधान सेक्यूलर संविधान कहलाता है। भारत राज्य सेक्यूलर-राज्य कहलाता है। परन्तु सेक्यूलर शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। भूल से यह शब्द छूट गया हो, यह बात नहीं है। संविधान सभा जब संविधान बना रही थी तब दो-तीन बार कोशिश की गई थी कि सेक्यूलर शब्द का प्रयोग संविधान में किया जाये। परन्तु यह शब्द संविधान में स्थान न पा सका।

लेकिन फिर भी भारतीय संविधान सेक्यूलर संविधान माना जाता है और भारत राज्य एक सेक्यूलर स्टेट माना जाता है। इसका कारण यह है कि भारत के संविधान का आधार सेक्यूलर है। संविधान की भूमिका में, प्रिएम्बल में स्पष्ट किया गया है कि भारत

को जनता अपने सब ना रिकों को सामाजिक, आर्थिक, और राज-नैतिक न्याय देगी। विचारों की अभिव्यक्ति की, विश्वास की, पूजा-पाठ की स्वतंत्रता देगी, सबको बराबर का दर्जा देगी और समान अवसर देगी। भूमिका के बाद मूल अधिकारों के अध्याय में भी धार्मिक स्वतंत्रता दी है

इसके बाद राज्य के निर्देशक तत्व वाले पाठ में भी अनुच्छेद (४४) चवालीस में भी सेक्यूलरवाद की बातें कही गई है। इस चवालीसवें अनुच्छेद में लिखा है कि राज्य यह कोशिश करेगा कि सब नागरिकों के लिए एक समान सिवल संहिता बने। यानि आज के दिन जो विवाह आदि के सम्बन्ध में अलग अलग कानून है, उनकी जगह एक सा सिवल कड बने। यानी भारतीय समाज सेक्यूलर समाज बने। अर्थात् धार्मिक कानूनों को हटा कर सिविल कानून बनाये जायें।

ऊपर के लेख से स्पष्ट है कि भारत का संविधान सेक्यूलर है और भारत राज्य सेक्यूलर राज्य है। २५ से ३० तक अनुच्छेदों में मजहबी समानता स्वीकार की गई है। लिखा है कि मजहबी मामलों में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। पिछले बरसों में मजहबी मामलों में हस्तक्षेप के बहुत से केस सुप्रीम कोर्ट में आये। इन केसिज में मजहबी मामलों का जो अर्थ लिया गया है वह सही नहीं है। मजहबी मामलों का अर्थ इतना व्यापक रूप में लिया गया है कि सब किस्म के रीति रिवाजों को, अंधविश्वासों को, वेशभूषा को, हेअर कटिंग स्टाइल को, जुलूसों और प्रदर्शनों को मजहबी मामले मान लिये गये हैं। मजहबी मामले मान लिये जाने से कसर यह आई कि राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सार्वजनिक हित में, सेक्यूलरवादी

समाज कायम करने के हित में, सामाजिक जीवन में समानता लाने के हित में सक्रिय कदम नहीं उठाये जा सकते। यह ठीक कहा है कि कोर्ट हमेंशा रूढिवाद को पकड़े रखना पसन्द करती है। उदाहरण के लिये सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट १९५४, रिपोर्ट संख्या १००५, और १०२४ में कहा गया है– "एक मजहब अपने अनुयायियों के लिये नियम कायदों की संहिता बना सकता है। रीति रिवाज, पूजा-पाठ का ढंग, व्रत-उपवास, दस्तूर आदि भी निर्धारित कर सकता है। और धर्म के ये बाहरी रूप और दस्तूर भोजन और वस्त्र तक भी विस्तार पा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक माना है कि अंधविश्वास भी मजहब के अंग हैं।

सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों से हमें दुखी नहीं होना चाहिये। एक ही कोर्ट के फैसले विभिन्न समयों में विभिन्न हो सकते हैं। उस समय के स्टाफ पर और सामाजिक परिस्थितियों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जन नेताओं को चाहिये कि वे वातावरण ऐसा बनावें कि एक समान सिविल कोड कायम हो सके। मजहब के आधार पर बने कानून-कायदे बन्द होने चाहिये।

कुछ विदेशी अदालतों ने मजहब का अर्थ ठीक लिया है। उदाहरण के लिये अमरीकी कोर्टस ने मानव और ईश्वर के संबन्धों को ही मजहब माना है। यू. एस. ए. की अदालतों ने साफ कहा है कि पूजा-पाठ के रूप तथा रीति रिवाज मजहब नहीं है। पुराने और रूढिवादी संविधानों में अमेरिका (यू. एस. ए.) का एक संविधान ऐसा है कि लिखित है, आज से दो सौ वर्ष पहले बना था। फिर भी उस संविधान में ईश्वर का कहीं जिक्र नहीं है।" उस समय यह संविधान एक क्रान्तिकारी संविधान था। उस समय कोई भी महत्वपूर्ण

दस्तावेज और महत्वपूर्ण ईश्वर के नाम बिना, दैवी देवता के नाम बिना अपूर्ण माना जाता था। जहां तक हमारे संविधान का प्रश्न है, जहां सेक्यूलर शब्द को जान बूझ कर टाला गया है, वहां ईश्वर के नाम को या किसी देवी-देवता के नाम को भी टाला गया है। संविधान सभा में यह प्रश्न उठाया गया था कि संविधान के प्रिअम्बल में ईश्वर का नाम आना चाहिये। परन्तु यह बात अस्वीकृत कर दी गई। हमारा संविधान जहां इस अर्थ में सेक्यूलर है कि सब धर्मों को बराबर माना गया है। वहां इस बात में भी सेक्यूलर है कि इसके निर्माण में, इसके लागू करने में, ईश्वर या देवता का सहारा नहीं लिया गया है।

: सातवां पाठ :

सेक्यूलरवाद के नौ सिद्धांत

सेक्यूलरवाद के नौ सिद्धांत नीचे लिखे जाते है:—

सार्वजनिक भोजनालयों और सार्वजनिक प्याउओं के कर्मचारी अल्पसंख्यक जाति के हों।

अल्प संख्यक और बहु संख्यक जाति के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित किये जायें।

प्राचीन पुनरुत्थान (Revivalism) के आन्दोलन को विघटनकारी माना जाय।

आधुनिक काल को स्वर्ण युग मान कर आधुनिक काल की राष्ट्रीय एकता को सराहा जाय और वैज्ञानिक सफलता तथा आर्थिक विकास की सफलताओं को राष्ट्रीय गौरव माना जाये।

मध्य युग के अल्प संख्यक राज को देशी राज माना जाये।

सामाजिकज्ञान के विषय में प्राचीन संस्कृति की बातें मजहब का अंग मानकर उन्हें सेक्यूलरवाद में बाधक माना जाये।

मध्य युग में केन्द्रीय सरकार और स्थानीय प्रशासनों के बीच

हुए युद्धों और संघर्षों के विवरण की भाषा और शैली में सुधार किया जाये।

८. सेक्यूलरवाद सदा ही अटल रूप से बहुसंख्यक जाति से शुरू होता है। पहल हमेशा बड़े भाई से होती है।

९. सार्वजनिक ईश प्रार्थना छोड़ दी जाये।

सेक्यूलरवाद के धर्मनिरपेक्षवाद के ये नौ सिद्धांत हैं। इन नौ सिद्धांतों के पालन करने से ही हमारा राष्ट्रीय गौरव बढ सकता है। राष्ट्रीय भावना के भौतिक आधार कायम हो सकते हैं। इस समय हमारे देश में राष्ट्रीय एकता हैं, यह सही है। पर उस एकता का भौतिक आधार नहीं है। यह एकता केवल कुछ नेताओं के निरन्तर प्रचार और प्रयत्न पर चल रही है। प्रचार और प्रेरणा की खुराक इसे रोज देनी पड़ती है। एकता का आधार मजबूत नहीं है।

इन नौ सिद्धांतों में तीसरा सिद्धांत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सभी देशों और समाजों में सेक्यूलरवाद में सबसे बड़ी बाधक चीज है, भूतकाल की तरफ नजर गड़ाये रखना। भूतकाल को, बीते हुए समय को स्वर्ण युग, श्रेष्ठ और आदर्श मान कर अन्य मूल्य निर्धारित करना ही सम्प्रदायवादी तत्वों का सबसे बड़ा हथियार है जिससे वे राष्ट्रीय एकता को निरन्तर लांघते रहते हैं। वर्तमान गिरावट का समय और प्राचीन काल का विकास, उन्नति, सच्चाई, ईमानदारी और श्रेष्ठता का सर्वोत्तम काल, ऐसी उल्टी गंगा बहाते हैं भूतकालवादी, प्राचीनतावादी। आश्चर्य की बात यह है कि इन बातों का मुंह तोड़ जवाब कोई नहीं देता। आज तक ऐसा नेता नहीं देखा गया जो यह कहे कि समाज हमेशा घटिया से बढ़िया की तरफ, नीचे से ऊंचे की तरफ, पिछड़ेपन से विकास की तरफ

निरन्तर बढ़ता जाता है। विकासवाद का सिद्धांत यही सिखाता है, इतिहास यही सिखाता है। आंकड़े और तथ्य यही सिखाते हैं। ज्यों पीछे को जायेंगे, पीछे के पन्ने उलटेंगे तो जंगलीपन की तरफ जायेंगे। भेद-भाव, ऊंच-नीच की तरफ जायेंगे। अन्याय की तरफ जायेंगे। उत्पीड़न की तरफ जायेंगे। आज का दिन ही परसों से अच्छा है। केवल सामन्ती तत्व ही भूतकाल की गौरव गाथा गाते हैं। साधारण जनता, किसान, मजदूर, अछूत, हरिजन, पिछड़े लोग, उत्पीड़ित लोगों के लिये तो आज का दिन ही अच्छा है। अगला वरस इस वरस से अच्छा होगा। इस प्रकार अच्छे ईमानदार लोग वर्तमान और भविष्य को देखते हैं और एक आशा के साथ अपनी दिनचर्या प्रारम्भ करते हैं। पाखंडी पीछे की तरफ देखते हैं और उस पिछड़ेपन को आज पर लादना चाहते हैं।

भूतकाल को जगाना जंगल की व्यवस्था को जगाना है। भूतकाल में हम अविद्या-अंधकार में थे, अंधविश्वासी थे। झूठी मान्यताओं से प्रेरणा लेकर एक समूह दूसरे को नष्ट करने की टोह और तलाश में रहता था। आज भारतीय नारी, भारतीय हरिजन, भारतीय मजदूर और भारतीय किसान का हित इसी में है कि वह भूतकाल को लौटने नहीं दे। वर्तमान की देन और उपलब्धि की रक्षा करे और भविष्य में अधिक प्राप्त करने की कोशिश करे।

जिन तत्वों से आज भारतीय समाज बना है, वे तत्व प्राचीन भारत में नहीं थे। और थे तो दुश्मनों के रूप में थे। विरोधियों के रूप में थे। जिसे हम प्राचीन धरोहर मानते हैं, प्राचीन सम्पत्ति मानते हैं, उस सम्पत्ति के निर्माण में आज के सब तत्वों का हाथ नहीं था। इसलिये उन प्राचीन उपलब्धियों में, प्राचीन संस्कृतियों में,

प्राचीन प्रेरणा स्रोतों में ये नये तत्व हिस्सा नहीं ले सकते। यह कहना अनोखा नहीं है कि प्राचीन संस्कृति और प्राचीन व्यवस्था के निर्माण में शूद्रों का हाथ नहीं था। प्राचीन व्यवस्था एक नीरस इतिहास मात्र है जिसे सरसता और प्रेरणा और जोश फरोश के साथ याद करना और गुण-गान एक उल्टी प्रतिक्रिया खड़ी करना है।

आठवें सिद्धांत पर दो पंक्तियां लिखनी आवश्यक है। देखने में आता है कि बहुसंख्यक जाति वाले अल्पसंख्यकों को भावनाओं और रुखों से अपने रुख बनाते हैं। यह उल्टा है। आदर्श यह है कि बहुसंख्यक लोग अपना आचरण ऐसा बनावें कि अल्प संख्यक लोगों के सब शक और सन्देह दूर हो जायें और वे भारतीय आंगण को अपना आंगण समझें और भारतवासियों को अपना भाई समझे। हम अपनी कुरीति छोड़ें और फिर अल्प संख्यकों को कहें कि वे अपनी कुरीति छोड़ें। अल्प संख्यकों की कुरीतियों को देख कर हम अपनी कुरीतियों को दुगणा कर दें और बदले की भावना अपनावें, देश को बरबाद करना है।

: आठवां पाठ :

सेक्यूलरवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण

धार्मिक दृष्टिकोण मध्य-युगी आचरण है। ज्यों-ज्यों आधुनिक विद्यार्थी, विज्ञान और टैक्नोलोजी का विकास होगा, सेक्यूलरीकरण की गति तेज होती जायेगी। उद्योगीकरण, नगरीकरण आदि प्रक्रियायें सेक्यूलरीकरण में सहायक होती है। सेक्यूलरीकरण की बढती प्रवृति देश के बनते कानूना में प्रगट होती है। सेक्यूलर सोसायटी में सब नागरिक एक ही सिविल और क्रिमिनल कोड से शासित होते हैं। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि दूसरे कानून भी समान ही होते हैं। समान-नागरिकों के समान अधिकार और समान कानून होते हैं। भारतीय समाज में अभी हम इस आदर्श पर नहीं पहुंचे हैं कि जीवन के सब क्षेत्रों में समान कानून से ही हम शासित हों और वह समान कानून भी सेक्यूलर हो। फिर इस दशा में हमने काफी प्रगति की है। क्रिमिनल तथा सिविल लॉ एण्ड प्रोसीजर तो समान है ही, कंट्रक्ट लॉ भी समान है। पर जिसे पर्सनल लॉ कहते हैं उसमें अभी हम एक नहीं हैं। पूर्णरूप से एक नहीं है, ऐसा कहना चाहिये। सन् १९५४ में एक एक्ट पास हुआ था। स्पेशल मैरिज एक्ट १९५४ के नाम से यह एक्ट प्रसिद्ध है। हिन्दु, मुसलमान, सिक्ख,

ईसाई आदि सभी इस एक्ट के अंडर अपना विवाह करा सकते हैं। अपने अपने मजहबों को कायम रखते हुए सभी नागरिक अपना विवाह इस कानून के सहारे करा सकते है। सेक्यूलरवाद की तरफ यह एक बहुत बड़ा कदम है। इसके अंडर विवाह होने से उत्तराधिकार का कानून भी दूसरा ही लागू होता है। यानी इन्डियन सक्सेशन एक्ट।

जहां तक हिन्दु लॉ का सम्बन्ध है, उसका भी बहुत कुछ सेक्यूलरीकरण हो चुका है। इस अर्थ में सेक्यूलरीकरण हुआ है कि हिन्दु लॉ की प्राचीनता और मध्यकालीनता हटा दी गई है।

हिन्दू मैरिज एक्ट १९५६, हिन्दू उत्तराधिकार एक्ट आदि कानूनों ने हिन्दू लॉ का बहुत कुछ आधुनिकीकरण किया है। संविधान के निर्देशक तत्वों में निर्देशक तत्व ४४ वां अनुच्छेद है जो कहता है कि सारे भारतीय समाज के लिये एक यूनिफोर्म सिवल कोड यथा शीघ्र कायम किया जाये।

यह प्रसन्नता की बात है कि बहुसंख्यक जाति ने यानी हिन्दुओं ने अपने पर्सनल कानून में यानी हिन्दू लॉ में काफी सुधार किया है। यानी सेक्यूलरीकरण की दिशा में बहुत बड़ी प्रगति है। यानी हिन्दुओं ने बड़े भाई के नाते, बहुमत वाली जाति के नाते अपने कानून का आधुनिकीकरण किया है और दूसरे सम्प्रदायों के लिये आदर्श रखा है। एक पत्नी प्रथा, डाइवोर्स, समान उत्तराधिकार, शादी का रजिस्ट्रेशन आदि ऐसी तब्दिलियां है जो दूसरों द्वारा अपनाये जाने पर समान कोड बनाने में सहायक होंगे।

मोहम्डन लॉ में अभी ज्यादा तब्दीली नहीं हुई है। हमें आशा करनी चाहिये कि मुसलमानों के पर्सनल लॉ में भी आधुनिकीकरण हो जायेगा और फिर दोनों सम्प्रदायों के पर्सनल लॉज को मिलाकर एक यूनिफोर्म सिविल कोड बन जायेगा।

: नवां पाठ :

सेक्यूलरवाद और मार्क्सवाद

आज से दो सौ बरस पहले अमरीका (यू. एस. ए.) का संविधान जब बना था तो यह फैसला किया गया कि अमरीकी संविधान में ईश्वर का तथा धर्म का कहीं जिक्र नहीं आना चाहिये। इससे स्पष्ट है कि अमेरीकी नेता इस बात को जान गये थे कि ईश्वर के हस्तक्षेप के बिना ही, उसकी मदद के बिना ही मानव समाज के सब कार्य चलाये जा सकते हैं। राज्य के और समाज के कार्य संचालन ईश्वर से स्वतंत्र है। उन्नीसवीं सदी में आकर विज्ञान ने इतनी तेजी से प्रगति की कि सारे समाजों का दृष्टिकोण ही वैज्ञानिक हो गया। वैज्ञानिक हो गया यानि चीजों और घटनाओं के कारण, चीजों और घटनाओं के भीतर ही है। बाहर नहीं है। कुदरत और समाज की उत्पत्ति और विकास के कारण पदार्थों के भीतर ही है। एक चीज दूसरी चीज के लिये कारण है। एक घटना दूसरी घटना के लिये कारण है। जीवों के क्रमिक विकास का सिद्धांत कायम हुआ। यानी जीव पैदा नहीं हुए और न ही पैदा किये गये। जीवों का विकास हुआ है। सृष्टि का सृष्टा सृष्टि के बाहर नहीं है। सृष्टा सृष्टि के भीतर ही है। आज हमारा सारा सामाजिक चिन्तन और वैज्ञानिक चिन्तन

ईश्वर से स्वतंत्र है। कृत्रिम ग्रह उपग्रह जो मानव बनाता है और अन्तरिक्ष में उड़ाता है, वह सब ईश्वर की मदद के बना हो, उसके मार्ग दर्शन और बोच-बचाव के बिना ही चलता है। रूढ़िवादी समाजों ने भी अपनी गणनाओं, चिन्तनों और आचरणों से ईश्वर से पूर्ण निकाल दिया है।

जहां तक साम्यवादी देशों का प्रश्न है, यानी एक तिहाई दुनियां का प्रश्न है, सेकूलर समाजवादी देशों का सवाल है, ये देश स्पष्ट रूप से, दार्शनिक रूप से ईश्वर विरोधी और धर्म विरोधी है। इन देशो का दर्शन कहता है कि कुदरत की रचना कुदरत ने ही की है। कुदरत अनादि है। इसका कोई प्रारम्भ नहीं है और न ही इसका अंत है। यह कुदरत और यह समाज अपने ही विकास के नियमों से संचालित और गतिमान है। यह विश्व स्वचालित संस्था है।

मार्क्सवादी दर्शन शास्त्र की आधार शिला द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद है। एक चीज विरोधी तत्वों को बनी हुई होती है। विरोधी तत्वों का एक चीज है। ये विरोधी तत्व आपस में संघर्ष करते हैं। यह संघर्ष ही उस चीज के विकास का कारण बनता है। विरोधियों की एकता का नियम कहलाता है यह। यानी विरोधी चीज मिल कर एक इकाई खड़ी करते हैं। विरोधी तत्वों के बिना कोई भी इकाई खड़ी नहीं हो सकती है। मानव समाज इसी प्रकार विरोधी तत्वों से बना है और संघर्ष के कारण गतिमान बनता है। समाज विरोधी तत्वों से बना, इन्सान विरोधी तत्वों से बना, वृक्ष विरोधी तत्वों से बना।

मार्क्सवादी समाज ही सही अर्थ में सेक्यूलर समाज है। यह दर्शन शास्त्र ईश्वर और मजहब को पूर्ण रूप से अपने चिन्तन

और आचरण से निकाल देता है। इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिये कि कम्यूनिष्ट देशों में यानी पूर्वी योरपीय देशों में जनता से धर्म जोर-जबरदस्ती छुड़ाया जाता है आम जनता को छूट है कि वह मजहब और ईश्वर को मानती रहे। मजहबी व्यक्ति कम्यूनिस्ट पार्टी का सदस्य नहीं हो सकते। और इसलिये एक मजहबी व्यक्ति राज्य कर्मचारी भी नहीं हो सकता। मिनिस्टर होने का सवाल ही नहीं है। इससे जनता को पूरा भरोसा रहता है कि सरकार या सरकारी कर्मचारी किसी एक मजहब के पक्ष में किसी दूसरे मजहब को नुकसान नहीं पहुंचायेगा। ठीक ऐसा ही पक्का भरोसा श्री नेहरू के समय में जनता को था कि किसी भी धर्म विशेष को दूसरे मजहब के नुकसान पर, विशेष फायदा नहीं पहुंचेगा। सेक्यूलरवाद ने थोड़ी बहुत जड़ें भारत में जमायी है। ये सब श्री नेहरू के प्रताप से ही हुआ है।

: दसवां पाठ :

एक आधुनिक सेक्यूलरवादी प्रशासक

'डिसकवरी ऑफ इन्डिया' में नेहरू जी एक जगह लिखते हैं, "मजहब, जैसा कि विचारवान लोग भी मानते और आचरण करते हैं, मैं देखता हूं चाहे वह हिन्दु धर्म हो, इस्लाम हो, बौद्ध धर्म हो, या ईसाई धर्म हो, मुझे कभी नहीं जचा। मजहब अंधविश्वासों जड़ विश्वासों से घनिष्ट रूप से जुड़ा हुआ है और मजहब के पीछे जीवन की समस्याओं को सुलझाने का वह तरीका है जो निश्चित रूप से वैज्ञानिक तरीका नहीं है।" अपनी बात को चालू रखते हुए श्री नेहरू धर्म की इक्की-दुक्की अच्छी बात को भी अंकित करते हैं— लिखते हैं, "फिर भी यह भी स्पष्ट है कि धर्म ने मानव स्वभाव की कुछ मर्म आवश्यकताओं की पूर्ति की है। मजहब ने मानव जीवन को एक मूल्यों की व्यवस्था दी है। इन मूल्यों में कुछ मूल्य हानिकारक भी है। लेकिन बहुत से नैतिकता की आधार शिला भी है।"

श्री जवाहरलाल नेहरू आधुनिक सेक्यूलरवाद के जन्मदाता थे। नोन कम्यूनिस्ट संसार में दूसरा कोई प्रशासक नहीं रहा है और न ही है जो सेक्यूलरवादी कहे जा सके। योरप, अमेरिका, आस्ट्रे-

लिया, एशिया आदि किसी भी देश में कोई स्टेट्समेन यानि प्रशासक नहीं है जो धर्म कहे जाने वाले रस्म-रिवाजों व कुरीतियों से मुक्त हो। कोई प्रशासक तथा समकक्ष श्रेणी का नेता नहीं है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस अर्थ में रखता हो जिस अर्थ में श्री नेहरू रखते थे। निरन्तर सारे जीवन में कमजोरी तथा निराशा के क्षणों में किसी बाहरी ताकत का सहारा लेते नहीं देखे गये। व्यक्तिगत सफलता की तथा राष्ट्रीय सफलता की घड़ियों में भी कभी दैवी शक्ति के प्रति आभार प्रगट करते नहीं देखे गये। महान् से महान् समारोह और सम्मेलनों को भी उन्होंने बिना किसी ईश्वरीय आशीर्वाद के ही शुरू किया। उन्होंने कभी पूजा-पाठ नहीं किया, धूप-ध्यान नहीं किया, हवन नहीं किया। उनके मकान पर कहीं भी कोई स्मरण करने का स्थान नहीं था।

श्री नेहरू को सफलता के, लोकप्रियता, महानता के, सर्व मान्यता तथा सर्व व्यापकता के बहुत कारण हैं। परन्तु मूल कारणों में से एक कारण श्री नेहरू का सेक्यूलरवाद है। तिलक लगाये, चोटी बढ़ाये, जनेऊ पहने, रामलीला के जुलूस का नेतृत्व करते हुए, लक्ष्मीनाथ जी के मन्दिर में धोक मारते हुए नेहरू इस लोकप्रियता को नहीं प्राप्त कर सकते थे। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिक्ख, भारतीय, विदेशी, पूर्वी-पश्चिमी, कम्यूनिस्ट, नोन कम्यूनिस्ट सभी नेहरू को चाहते थे, अपना प्यारा समझते थे, क्योंकि वे सेक्यूलरवादी थे। एक मजहबी व्यक्ति, दूसरे मजहबों का चाहे कितना ही आदर करे, व्यापक रूप से लोकप्रिय नहीं हो सकता। सेक्यूलर विचार, सेक्यूलर वेशभूषा, सेक्यूलर हेयर कटिंग, सेक्यूलर भाषा, सेक्यूलर खान-पान आदि का सभी मजहबों में और सभी देशों में जादू का सा असर होता है। सेक्यूलरवादी आचरण दिखाता है कि

आप किसी बाड़े के बन्दी नहीं हैं। आपने अपना विशाल हृदय मानव मात्र के लिए खोल रखा था।

सेक्यूलरवाद ने श्री नेहरू को वह लोकप्रियता दी जो दुनिया के किसी दूसरे व्यक्ति को आज तक प्राप्त नहीं हुई। लोकप्रियता के साथ-साथ सेक्यूलरवाद से श्री नेहरू को एक लाभ और भी हुआ। कहना चाहिये नेहरू तो सेक्यूलरवाद से देश को एक लाभ और भी हुआ। वह यह कि उनके वैज्ञानिक चिन्तन ने देश में साइंस प्रयोगशालाओं का एक जाल सा बिछा दिया। इन्हीं प्रयोगशालाओं की वजह से, साइंस पर खर्च किये गये इसी धन की वजह से, आज हमारा देश नव विकासशील राज्यों में सबसे आगे है। आज हम परमाणु शक्ति को पूर्ण रूप से प्राप्त करने की स्थिति में है।

श्री नेहरू के सेक्यूलरवाद से देश को तीसरा फायदा हुआ वह यह कि इस्लामिक देशों में हम अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का विश्वास पैदा कर सके। मिश्र, सीरिया, ईराक, अरब, क्वायत, अफगानिस्तान, सिंगापुर, मलेशिया, इण्डोनेशिया आदि देशों को आश्वस्त कर सके कि हमारे देश में धर्म, संस्कृति आदि की पूरी स्वतंत्रता है। नेहरू के नेतृत्व में अल्पसंख्यक लोग अपनी नागरिकता का पूरा उपभोग कर सकते हैं। इससे हमारी स्थिति कश्मीर के सम्बन्ध में मजबूत हुई, राष्ट्र संघ में हमको अच्छा सहारा मिला।

श्री नेहरू के सेक्यूलरवाद से हमें पूर्वी योरप के देशों का समर्थन मिला। रूस और रूस के साथी देशों में भारत को जो सहारा मिला वह श्री नेहरू के दृष्टिकोण का ही फल है।

दिल्ली में वही सफल राज चलायेगा जो पूर्ण रूप से सेक्यूलरवादी होगा।

: ग्याहरवां पाठ :

एक मध्य-युगी सेक्यूलरवादी प्रशासक

दसवें पाठ में एक आधुनिक सेक्यूलरवादी प्रशासक का परिचय लिखा था। इस पाठ में एक मध्य-युगी प्रशासक का परिचय लिखा जा रहा है अकब्बर का।

अकबर का जन्म पन्द्रह सौ बयालीस (१५४२) में सिंध इलाके के अमरकोट नामक स्थान पर हुआ था। यह उस समय की बात है जब अकबर का पिता हुमायुं शेरशाह से हार कर भारत छोड़ कर भागा जा रहा था। १५४२ में शेरशाह मर मर गया। उसके उत्तराधिकारी कमजोर थे। इसलिये हुमायुं फिर भारत का बादशाह हो गया। परन्तु उसी बरस उस अफीमची की मौत हो गई। और उसका बेटा अकब्बर चौदह बरस की उमर में सन् पन्द्रह सौ छप्पन (१५५६) में भारत का बादशाह बना। उस समय वह बादशाहत कोरी कागजी थी। अकब्बर के पास एक खेत भी नहीं था, उसके पास कोई किला भी नहीं था। कोई गढ़ कोट भी नहीं था।

परन्तु तिरेसठ बरस की उमर में १७ अक्टूबर, १६०५ में जब वह मरा तब भारत अपने इतिहास में सबसे बड़ा भारत था।

इतना बड़ा जितना वह पहले कभी नहीं था। काबुल से असम और काबुल से मद्रास विजयों के साथ साथ उसने जिस प्रशासन प्रणाली को विकसित किया और लागू किया वह तीन सौ बरस तक चली। इस अभूतपूर्व चमत्कार का रहस्य क्या था ? रहस्य छुपा है अकबर के सेक्यूलरवाद में। जहां नेहरू आधुनिक सेक्यूलरवाद जन्मदाता है, वहां अकबर मध्य युगी सेक्यूलरवाद का जन्मदाता है।

प्राचीनकाल में धर्मान्धता का प्रश्न नहीं क्योंकि प्राचीन काल में धर्म का विकास नहीं हो पाया था। धर्म ने सुनिश्चित और टिकाऊ रूप धारण नहीं किये थे। आज के युग में भी धर्मान्धित नहीं रही क्योंकि आधुनिक विद्याओं के उजाले में मजहबी कमजोरियां साफ आ रही हैं और मजहबी कानूनों का स्थान सिविल कानूनों ने ले लिया है। आज से पांच सौ वरस पहले उस मध्ययुगीन अंधकार में धार्मिक मदान्धता एक परम सत्य माना जाता था। बादशाह के धर्म को ही जनता पर लादने की कोशिश की जाती थी। जनता पर धार्मिक जुल्म करना, बादशाह अपना परम कर्त्तव्य मानता था। धर्म विस्तार और राज्य विस्तार साथ-साथ चलते थे। उस समय की कल्पना करते ही इन्सान को कम्प-कम्पी शुरू हो जाती है। हज़ारों वरसों के अन्तिरक्ष में अकबर ही एक प्रकाश पुंज था जिसने सेक्यूलरवाद का दीप जलाया। मुल्लाओं की उपेक्षा करके हिन्दुओं को ऊंचे से ऊंचे पद दिये। एक नहीं, दो नहीं। बहुत। यद्यपि हम सिर्फ कुछ नव रत्नों के ही नाम जानते हैं। पर उसकी सारी प्रजा ही उसकी प्यारी थी। कोई भेद-भाव नहीं था। अकबर का सेक्यूलरवाद यहां तक बढ़ा-चढ़ा था कि उसने हिन्दुओं की वेशभूषा को चालू किया। अकबर के बहुत से बेटे-पोते हिन्दु रानियों से थे। अकबर ने स्वयं धार्मिक खोज शुरू की थी। वह जानना चाहता था कि आखिर

कौन सा धर्म सही हैं या सभी धर्म गलत हैं। धार्मिक भावना से प्रेरित कुछ लोग कहते है कि यह सब राज जमाने की चाल थी। बहुसंख्यक लोगों को सहानुभूति प्राप्त करने के लिए एक पाखंडपूर्ण कूटनीति थी। ऐसी बातें करना अकबर के साथ अन्याय करना है। सत्य पर अत्याचार करना है। अकबर का सेक्यूलरवाद अगर पाखंड था तो उसने गोआ से पादरी क्यों बुलाये थे? ईसाईयों से उसे क्या खतरा था? गोआ से क्या घबराहट थी?

गुजरात और खानदेश पर जब अकबर का राज कायम हो गया तो वह पुर्तगाली ईसाईयों के सम्पर्क में आया। पाठकों को याद होगा सन् चौदह सौ बानवें (१४९२) में वास्को डी गामा भारत में आया था।

सन् १५१० तक अलबुकर्क ने पुर्तगाली राज की पूरी स्थापना कर दी, चाहे हा थोड़ी सी दूर में। सन् १५७८ में अकबर ने अपने राजदूत अब्दुल्ला को गोआ भेजा और सेंट पाल गिरजाघर के दो पादरियों को अकबर के दरबार में आमंत्रित किया गया। फरवरी २८, सन् १५७९ को दो की जगह तीन पादरी फतहपुर सीकरी पहुंचे और अकबर के दरबार मे उपस्थित हुए। बाइबिल की एक पोथी अकबर को भेंट की गई जो अकबर के पोथीखाने में पन्द्रह बरस रही। बाद में वह कीमती चीज ईसाई पादरियों को वापिस कर दी गई। शाही चित्रकार केशवदास ने ईसाई धर्म गुरुओं के कई चित्र भी बनाये थे। सन् १५९५ में ईसाई चर्च बनाने के लिए अकबर ने लाहौर में जमीन दी और मकान बनाने का खर्च दिया।

यह ईसाई धर्म सम्बन्धी जिक्र केवल इसीलिए किया गया है कि यह भ्रम दूर हो जावे कि वह हिन्दुओं की मदद के लिए ही

हिन्दु धर्म से सहानुभूति रखता था। अकबर शत-प्रतिशत सेक्यूलर था और ईमानदारी से सेक्यूलरवाद में विश्वास करता था। अकबर के राज में एक भी ईसाई नहीं था। ईसाईयों से उसे क्या भय हो सकता था। विश्व के इतिहास में ऐसी दूसरी मिसाल सेक्यूलरवाद को नहीं मिलती जैसी कि आधुनिक काल में नेहरू सेक्यूलरवाद को नहीं मिलती। अकबर यहां तक सेक्यूलरवादी हो गया था कि वह मांस नहीं खाता था, क्योंकि उसके बहुत से नव-रत्न और मनसबदार मांस नहीं खाते थे। वह एक समय खाता था क्योंकि उसके साथी एक समय खाते थे। रात दिन काम करता था। केवल तीन घंटे सोता ऊंटों और घोड़ों पर हफ़्तों तक यात्रा कर सकता था। खाने का समय निश्चत नहीं था। वह कभी पूजा-पाठ नहीं करता था। मन्दिर-मस्जिद में नही जाता था। हां, संतों की इज़्जत करता था। और उन्हें मानता था। यह था अकबर महान, सेक्यूलैरिस्ट महान् !

: बारहवां पाठ :

हम अपना जीवन सेक्यूलर कैसे बनावें

इस किताब को पढकर बहुत से पाठकों को सेक्यूलरवादी बनने की लगन लगेगी। नेहरू महान् की जीवन विधि को अपनाने की लगन उठेगी। इस सम्बन्ध में जानने की बात यह है कि सब आदमी वह वैज्ञानिक आउट-लुक विकसित नहीं कर सकते जो नेहरू जी में था। इसलिये हम सर्वसाधारण के सदस्य मजहब की मूल को मान लेंगे, लेकिन मजहब के इर्द-गिर्द जो मजहब विरोधी बातें लिपट गई हैं, उन्हें छोड़ेंगे। मजहब में इस समय नीचे लिखी बातें शामिल है—

१. मजहबी किताबें जैसे—बाइबिल, कुरान, वेद, पुराण आदि
२. प्राचीनकाल के धर्म प्रवर्तक तथा दूसरे मजहबी व्यक्ति वीर-पुरुष
३. पूजा-पाठ के लिये बने विशिष्ट सूरत-शकल के मकान
४. त्योहार जैसे—होली, दीपावली, मुहर्रम, क्रिसमस दिन आदि
५. जीवन-मरण, विवाह-विधि आदि से लगी संस्कार विधि, उत्सव आदि

६. तीर्थ स्थान जैसे-मक्का, हरिद्वार जरूसलम, अमृतसर आदि
७. देवता जैसे-महादेव, हनुमान, पीर आदि
८. मजहबी पुजारियों, मुल्लाओं, पादरियोंआदि की वेशभूषा
९. भाषायें जैसे-संस्कृत, अरबी, पंजाबी, उर्दू आदि
१०. पूजा-विधि जैसे-हवन, नमाज, देव नमन आदि और

अंत में ग्यारहवां

११. ईश्वर में विश्वास

ये ग्यारह बातें हर एक मजहब में पायी जायेंगी। साथ ही यह भी है कि ग्यारवीं बात यानि ईश्वर में विश्वास हर एक मजहब की नींव है। बौद्ध धर्म के विषय में कहा जाता है कि उस धर्म में ईश्वर के नाम का उल्लेख नहीं है। ईश्वर की परिभाषा यह समझो कि एक सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ सत्ता जिसने इस विश्व को रचा हैं और इस समय जगन्नियता है संचालन कर्त्ता है। श्री नेहरू इनमें से किसी को भी नहीं मानते थे। परन्तु हम सब नेहरू नहीं हो सकते। हमें चाहिये कि हम पहली दस बातें छोड़ दें और ग्यारहवी एक बात मानें। ईश्वर में विश्वास रखें और किसी भी जगह पर किसी भी सुभीताजनक क्षणों में उसको, ईश्वर को स्मरण कर लें। उसकी स्तुति कर दें, उसकी प्रार्थना कर लें और गलतियों और पापों के लिए क्षमा मांग लें और आगे न करने का वचन कर लें यह सब व्यक्तिगत रूप में हो सामूहिक रूप में नहीं। मौन भाषा में राग-रागनी के साथ नहीं।

इसमें कोई अनोखी बात नहीं है कि हम मजहब को काटें, छांटें यानी उसे छांगे। समाज की परिस्थिति बदल जाने से

समाज का सुपर स्ट्रक्चर यानि समाज के मुख्य अंग बदल जाने से समाज उपांग स्वतः बदला जाना चाहिये। और फिर हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि सब धर्मों का मूल ईश्वर है। ईश्वर में विश्वास रखने से मजहब के दूसरे हिस्सों का पालन अपने आप ही हो जाता है। मूल को सींचने से सब पत्ते हरे हो जाते हैं ऐसा धर्म गुरुओं ने माना है।

इसका यह अर्थ यह होगा कि हमें नीचे लिखी बातें करनी होंगी:—

स्कूलों की ईश वन्दना, प्राचीन संस्कृति के स्कूली अध्ययन को बन्द करना, रेडियो पर कही जाने वाली ईश वन्दना बन्द होनी चाहिये। सरकार का सदस्य किसी सार्वजनिक धार्मिक सामूहिक पूजा-पाठ में शामिल न हो। स्कूलों में जो धार्मिक वीरों पर उत्सव मनाये जाते हैं, वे बन्द होने चाहिये। धार्मिक वीर पूजा, धार्मिक त्यौहार मनाना धर्म से अलग नहीं किये जा सकते। मजहबी ही राज के उत्सव मनाना और मजहबी त्यौहार मजहब को मानना है। कुछ भाषाएं मजहबों से जुड़ गई है जैसे-उर्दू, अरबी जुड़ गई इस्लाम से, संस्कृत हिन्दी जुड़ गई हिन्दुओं से, पंजाबी जुड़ गई सिक्खों से। अन्य भाषाओं के बारे में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी, बंगला आदि के बारे में मजहब को बोध नहीं होता है। मजहबी भाषाओं पर बल नहीं देना चाहिये।

: तेरहवां पाठ :

सेक्यूलरवाद का भौतिक आधार

सेक्यूलरवाद एक सामाजिक जीवन की विधि है। समाज में रहन-सहन की विधि स्थापित हो, आगे बढे यानी विकसित हो, इसके लिए जरूरी है कि हम उस विधि के लिये भौतिक आधार कायम करें। प्रत्येक जीवन विधि के लिए उसके अनुकूल ही भौतिक आधार बनना चाहिये।

सेक्यूलरवाद का भौतिक आधार यह है:—

आधुनिक विद्याओं का अधिकाधिक प्रचार, विस्तार और प्रसार विशेषकर विज्ञान का और वैज्ञानिक खोज का जिससे कि विश्व रचना के और विश्व संचालन के रहस्य साफ होते जायें। अन्तरिक्ष यात्री कभी साम्प्रदायिक झगड़ों में नहीं पड़ेगा। मेडिकल साइंटिस्ट साम्प्रदायिक विभाजन को कभी स्वीकार नहीं करेगा। साथ ही एक जरूरी बात ध्यान में रखनी चाहिये। वह यह कि जब हम प्रभु की बातें करते हैं तो सबसे पहले प्रभु-भक्त कहेगा कि रचियता कौन है? सृष्टा कौन है? और संचालनकर्त्ता कौन है? प्रभु-भक्त इस तर्क

को, युक्ति को अकाट्य मानते हैं और अपनी प्रभु आस्था का मुख्य आधार मानते हैं। इसलिए क्रमिक विकास की जानकारी (Evolution) की जानकारी अनिवार्य होनी चाहिये। नियम संचालित विश्व की (Law governed universe) की पूरी जानकारी होनी चाहिये। पदार्थ से पदार्थ और घटना से घटना किस प्रकार जुड़ी हुई है, इसकी जानकारी होनी चाहिये। विकासवाद पर जो किताब लिखाई जाये वह किसी वैज्ञानिक अधिकारी या अधिकारी समूह से लिखाई जाय। आज कल जो मोरल टीचींग का पीरियड़ है, उसकी जगह विकासवाद का पीरियड़ होना चाहिये।

मानव का विकास और फिर मानव समाज का विकास, कुदरत और कुदरती चीजों का विकास, पेड़ों का, जीव-जन्तुओं, सूरज-चांद और तारों का, पृथ्वी का, ग्रह-उपग्रहों का सबका विकास हुआ है। कोई भी चीज पैदा नहीं हुई है, रची नहीं गई है। विकसित हुई है। विश्व का न आरम्भ है और न अंत है। सदा रही है और सदा रहेगी। विश्व आदि रहित, सीमा रहित और अन्त रहित है। विश्व न जन्मा और न मरेगा। विश्व के नियम ही विश्व के संचालक हैं। इस रहस्य का स्पष्टीकरण होना चाहिये कि पहले मुर्गी बनी या पहले अंडा बना। विकास होता क्यों है ? टिकाव की स्थिति क्यों असम्भव है ? विकास क्यों अनिवार्य है ? ऐसी किताब बननी चाहिये। इससे सेक्यूलरवाद में सहायता पहुंचेगी। ऐसी किताब सेक्यूलरवाद का मुख्य भौतिक आधार बनेगी।

दूसरा भौतिक आधार बनेगा उत्पादन का औद्योगीकरण। मजदूर लोगों में यानि बड़े कारखानों के मजदूरों (Industrial Labour) में साम्प्रदायिकता नहीं के बराबर होगी। परन्तु किसानों

में साम्प्रदायिकता, रूढिवादिता अधिक होगी। दुकानदार में, यानी व्यापारियों में साम्प्रदायिकता ज्यादा होगी। परन्तु मोनोपोली पूंजीवादी में, बड़े उद्योगपति में कम होगी। ये विभिन्न प्रकार की विकास की मंजिलें हैं। कृषि का मशीनीकरण हो जाने पर, सहकारीकरण हो जाने पर, खेतीहर लोग भी उद्योगों के लोगों की तरह प्रकाशित जीवन में आ जायेंगे। इंग्लैंड में यद्यपि अंगलीकन चर्च राज्य धर्म है, पर फिर भी वस्तु स्थिति सेक्यूलरवाद की है।

योजनाबद्ध विकास का जो नेहरू का कार्य-क्रम था, वह औद्योगीकरण की गति को तेज करना था जिससे हमारा देश आधुनिक बने, सेक्यूलर बने।

सेक्यूलरवाद का तीसरा भौतिक आधार है समाजवाद। समाजवाद एक नई जीवन वि ध देता है। आज के दिन हमारे देश में समाजवाद की कई किस्में हो गई है। समाजवाद की कुछ किस्में मजहब के साथ मेल करके चलती है। पर साधारणतया समाजवाद का प्रचार और समाजवाद की स्थापना मजहब के विरोध में ही जाते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि समाजवाज के प्रचार की लगन में मजहबी प्रचार की बातें गौण हो जाती है। दूसरी बात यह है कि हिन्दुओं और मुसलमानों के समाजवाद अलग अलग नहीं है। दोनों का प्लेट फोर्म समान हो जाता है और मेल वृद्धि होती है। तीसरी बात यह है कि सभी किस्म के समाजवाद धर्म की बातों को अपने कार्य-क्रमों से टालते हैं। चौथी बात यह है कि मार्क्सवादी समाजवाद और कुछ दूसरी किस्में धर्म विरोधी है।

इसलिये सेक्यूलरवादियों और दूसरे देश हितैषियों को चाहिये कि वे समाजवाद के प्रचार और स्थापना में लगे।

यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि सभी विचारों की स्थापना के लिए सबजेक्टिव और ओबजेक्टिव दोनों प्रकार की परिस्थिति बननी चाहिये। सबजेक्टिव परिस्थिति का अर्थ समझना चाहिये। प्रचार द्वारा लोगों के विचारों को बदलना, विचारों का विश्वास दिलाना। दूसरे शब्दों में कहना चाहिये विचार संस्था का रूप धारण करे, इससे पहले वह दिमागों में स्थापित हो।

में साम्प्रदायिकता, रूढिवादिता अधिक होगी। दुकानदार में, यानी व्यापारियों में साम्प्रदायिकता ज्यादा होगी। परन्तु मोनोपोली पूंजीवादी में, बड़े उद्योगपति में कम होगी। ये विभिन्न प्रकार की विकास की मंजिलें हैं। कृषि का मशीनीकरण हो जाने पर, सहकारीकरण हो जाने पर, खेतीहर लोग भी उद्योगों के लोगों की तरह प्रकाशित जीवन में आ जायेंगे। इंग्लैंड में यद्यपि अंगलीकन चर्च राज्य धर्म है, पर फिर भी वस्तु स्थिति सेक्यूलरवाद की है।

योजनावद्ध विकास का जो नेहरू का कार्य-क्रम था, वह औद्योगीकरण की गति को तेज करना था जिससे हमारा देश आधुनिक बने, सेक्यूलर बने।

सेक्यूलरवाद का तीसरा भौतिक आधार है समाजवाद। समाजवाद एक नई जीवन वि ध देता है। आज के दिन हमारे देश में समाजवाद की कई किस्में हो गई है। समाजवाद की कुछ किस्में मजहब के साथ मेल करके चलती है। पर साधारणतया समाजवाद का प्रचार और समाजवाद की स्थापना मजहब के विरोध में ही जाते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि समाजवाज के प्रचार की लगन में मजहबी प्रचार की बातें गौण हो जाती है। दूसरी बात यह है कि हिन्दुओं और मुसलमानों के समाजवाद अलग अलग नहीं है। दोनों का प्लेट फोर्म समान हो जाता है और मेल वृद्धि होती है। तीसरी बात यह है कि सभी किस्म के समाजवाद धर्म की बातों को अपने कार्य-क्रमों से टालते हैं। चौथी बात यह है कि मार्क्सवादी समाजवाद और कुछ दूसरी किस्में धर्म विरोधी है।

इसलिये सेक्यूलरवादियों और दूसरे देश हितैपियों को चाहिये कि वे समाजवाद के प्रचार और स्थापना में लगे।

यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि सभी विचारों की स्थापना के लिए सबजेक्टिव और ओबजेक्टिव दोनों प्रकार की परिस्थिति बननी चाहिये। सबजेक्टिव परिस्थिति का अर्थ समझना चाहिये। प्रचार द्वारा लोगों के विचारों को बदलना, विचारों का विश्वास दिलाना। दूसरे शब्दों में कहना चाहिये विचार संस्था का रूप धारण करे, इससे पहले वह दिमागों में स्थापित हो।

: चौदहवां पाठ :

योरप की धर्मान्धता और सेक्यूलरवाद का उदय

पैलेस्टाइन के जरूसलम नगर में हुए क्रुसेड जगत् प्रसिद्ध है। ये क्रुसेडे ईसा की छठो सातवीं सदी की बातें है। छठी सदी में इस्लाम का उदय हो चुका था। इस प्रकार जरूसलम नगर के दावेदार तीन मजहब के हो गये थे। योरप में धर्म पर आधारित झगड़ों के दो रूप थे। एक, पोप का राज या राष्ट्रीय बादशाह का राज। प्रभु सम्पन्नता किसकी ? जनता की निष्ठा किसके प्रति ? दो, जनता में ईसाई धर्म के विरुद्ध आचरण करने वालों को ढूंढ़ निकालो और उसे मौत की सजा दो। रोम के पोप की उस समय सारे योरप में कितनी चलती थी, उसके हुक्मों की कितनी परिपालना थी, इस बात का अन्दाज इस बात से लगाया जा सकता है कि जब कोलम्बस ने दक्षिणी अमरीका की खोज की तो पोप ने हुक्म निकाला कि इस क्षेत्र में दूसरे देश का प्रवेश नहीं होगा। इस प्रकार दक्षिणी अमरीका सारी की सारी स्पेन के नीचे रही। मध्य अमरीका भी स्पेन के राज में रही। यह सारा भू भाग लैटिन अमरीका कहलाने लगा क्योंकि इसकी भाषा स्पेन की वजह से लैटिन हुई।

इसके बाद वास्को डी गामा ने १४६८ में जब पूर्वी देशों की यानी भारत की खोज की तो पोप ने हुक्म निकाला कि पूर्व की तरफ पुर्तगाल का ही राज रह सकता है। किसी दूसरे देश का नहीं। आगे चल कर इग्लैंड में जब ट्यूडर वंश का राज कायम हुआ तो उन लोगों ने पोप से सम्बन्ध तोड़ कर ट्यूडर बादशाह खुद ही धर्म के रक्षक और धर्म के प्रमुख बन गये। इसी समय के आस-पास पोप की सत्ता के विरुद्ध आन्दोलन उठ खड़ा हुआ और योरप में धर्म सुधार हुआ। पोप की सत्ता कमजोर हो गई और पूर्व की तरफ और अमरीका की तरफ आने जाने की छूट हो गई। सन् १६१० में ईस्ट इण्डिया कम्पनी बनी और पूर्व में आई। इसके कुछ बाद फ्रांसीसी और डच लोग भी पूर्व में आये।

सोलहवीं और सतरहवीं सदी में एक नये किस्म का धार्मिक उत्पीड़न शुरू हुआ। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट नाम के, ईसाई धर्म में दो सम्प्रदाय हो गये। कहीं कैथोलिकों पर तो कहीं प्रोटेस्टेंटों पर उत्पीड़न होने लगे। ये लोग योरप से भागकर उत्तरी अमरीका में बसने लगे और इस प्रकार यू. एस. ए. और कैनेडा नाम के दो राज्य अठारहवीं सदी के अंत में कायम हुए।

पूर्वी देशों में धार्मिक उत्पीड़न की कोई उल्लेखनीय घटनायें नहीं हैं। साधारणतया सहिष्णुता का पालन हुआ है।

धर्मान्धता के इलाके योरप में ही सेक्यूलरवाद का उदय हुआ। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि सेक्यूलरवाद के दो पहलू हैं। सेक्यूलर राज्य और सेक्यूलर समाज। योरप में सेक्यूलरवाद सेक्यूलर राज्य से शुरू हुआ। था भी ठीक, क्योंकि धार्मिक उत्पीड़न

राज्य की सहायता से या राज्य द्वारा ही सम्भव है। इटली पडुआ नगर के एक लेखक मारसिलियो (**Marsilio**) ने चौदहवीं सदी में सेक्यूलर स्टेट का विचार रखा। पर उस समय इस विचार का कोई भौतिक आधार न होने से यह विचार आगे नहीं बढ सका।

धार्मिक उत्पीड़न चलता रहा। लोग जीवित ही जलाये जाते रहे। इन जुल्मों से मानववादी लोग प्रभावित भी हुए। कोई रास्ता ढूंढ निकालने की कोशिश में रहे। अंत में समझदार लोग इस मत की तरफ झुके कि धार्मिक उत्पीड़न की समाप्ति के लिये यह जरूरी है कि एक देश में एक ही धर्म को मानने वाले हों। प्रोटेस्टेंट कैथोलिक आदि एक सम्मेलन में मिले। यह प्रसिद्ध सम्मेलन ओगस-वर्ग का शांति समझोता १५५५ कहलाता है। १५५५ का ओगसवर्ग का यह शांति समझोता बहुत प्रसिद्ध है। यह शांति समझोता इस सिद्धांत पर बना "एक देश, एक धर्म"। दूसरे शब्दों में यह कि राजा का धर्म ही प्रजा का धर्म हो। अल्पसंख्यक उस राज्य में चले जायें जहां उनका धर्मावलम्बी राजा हो। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सोलहवीं सदी के अन्त तक लगभग डेढ हजार बरस तक योरप में धर्मान्धता का यानी धार्मिक उत्पीड़न का राज रहा।

प्रसिद्ध राजनैतिक, दार्शनिक जोर्ज एच० सवाइन ने अपनी पुस्तक 'ए हिस्टरी ऑफ पोलिटिकल थियोरी' में लिखा है, "जब सब रास्ते बन्द हो गये, दूसरा कोई भी समाधान काम नहीं कर सका तो धीरे धीरे, विवशतावश धार्मिक सहनशीलता की नीति का उदय हुआ, क्योंकि यह खोज हो चुकी थी कि विभिन्न धर्मानुयायी एक समान राजनैतिक निष्ठा रख सकते हैं।" समाजशास्त्र में यह खोज बड़ा महत्व रखती है कि एक समान राजनैतिक निष्ठा विभिन्न

धर्मों के अनुसरण में बाधक नहीं है। राजनैतिक विचार धारा एक हो और धर्म चाहे भिन्न-भिन्न हों, इन दोनों बातों में कोई विरोधाभास नहीं हैं। राजनीति और धर्म के बीच के समझौते का मार्ग जरूर निकल आया। पर अभी सेक्यूलरवाद की स्थापना नहीं हुई थी, क्योंकि अभी सेक्यूलरवाद का भौतिक आधार नहीं बना था। अर्थात् अभी विज्ञान और औद्योगीकरण नहीं थे।

प्रसिद्ध जीवित इतिहासकार अपनी पुस्तकों में 'ए स्टैडी ऑफ हिस्टरी' में टोयनबी लिखता है, "पश्चिमी देशों के जीवन का सेक्यूलरीकरण सतरहवीं सदी मे हुआ, क्योंकि साइंस ने धर्म को हटाया और यह साइंस ही अग्रगण्य प्रमुख व्यक्तियों के रुचि का विषय बन गया और ये प्रमुख व्यक्ति विज्ञान के धंधे में पड़ गये।" इस प्रकार कहा जा सकता है कि विज्ञान और औद्योगिक क्रान्ति ने धर्म को उखाड़ा।

*

: पन्द्रहवां पाठ :

सेक्यूलरवादी चिन्तक

पाठ दसवें और ग्यारहवें में सेक्यूलरवादी प्रशासक बताये गये हैं। इन प्रशासकों ने अपने लम्बे प्रशासन काल में, अपने राजकीय मामलों में, निजी मामलों में और सामाजिक मामलों में सेक्यूलरी सिद्धांतों का पालन किया। इस पाठ में हम एक मध्ययुगी चिन्तक, विचारक के दर्शन का थोड़ा वर्णन करते हैं।

मध्य-युग के इस सेक्यूलरी विचारक का नाम था मारसिलियो। यह इटली के पडुआ नगर का निवासी था। दुनियां के इस प्रथम सेक्यूलर चिंतक और लेखक के विचार लिखने से पहले मध्ययुगी योरप की राज व्यवस्था के स्ट्रक्चर पर दो पंक्ति जरूरी है। लगभग डेढ हजार वर्षों तक योरप में धार्मिक उत्पीड़न एक व्यवस्थित ढंग में चला। यह उत्पीड़न मान्यता प्राप्त था। एक पक्षीय उत्पीड़न नहीं था, जहां एक शक्तिशाली पक्ष दूसरे कमजोर पक्ष को सताता रहे। योरप का धार्मिक अत्याचार सबको स्वीकार था। उत्पीड़ित लोगों को भी स्वीकार था। यह एक मजेदार व्यवस्था थी जिसके अन्तर्गत यह अत्याचार सम्भव हो सका। योरप के दर्जनों देशों

पर दर्जनों शासक राज करते थे। इन सब शासकों पर एक सम्राट था। इस सम्राट पर कंट्रोल रखने वाला पोप था। सम्राट और पोप दोनों ही रोम में रहते थे। पोप के पास अपनी जमीन-जायदाद थी और पोप अलग अपना टेक्स लगाता था। धर्म के विरुद्ध आचरण करने वालों को दण्ड और मृत्यु दण्ड पोप के हुक्म से ही होते थे। स्वर्ग में जाने के प्रमाण-पत्र भी पोप ही देता था। आगे चल कर शासक लोग सम्राट का चुनाव भी करने लग गये। परन्तु अन्तिम स्वीकृति पोप की होती थी। सम्राट की राजधानी आगे चल कर रोम से कोन्स्टेटीनोपल चली गयी थी जहां से उसे १४५३ में (चौदह सौ तिरेपन) मे टर्क लोगों ने खदेड़ दिया था और कोन्स्टेटीनोपल टर्कों की राजधानी हो गया और सम्राट की व्यवस्था खत्म हो चली, सम्राट की संस्था खत्म होने को चली।

धार्मिक उत्पीड़न सुव्यवस्थित ढंग से चलता रहा। पोप सर्वोच्च सत्ता माना जाता रहा। धीरे धीरे, समाज विकास के नियमानुसार, यह विवाद प्रारम्भ हुआ कि सर्वोच्च सत्ता, प्रभुता सम्राट में या पोप में। दूसरे शब्दों मे यों कहे कि प्रभुता आध्यात्मिक पक्ष में या सेक्यूलर पक्ष में। या दोनों में। क्या पोप सेक्यूलर मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है ? यह विवाद प्रारम्भ हो गया। इस विवाद का प्रारम्भ कर्त्ता था मारसिलियो। मारसिलियों पहला चिन्तक था जिसने कहा कि पोप अपनी कार्यवाही धार्मिक मामलों तक ही सीमित रखे। धर्म के विरुद्ध बोलने वाला, लिखने वाला, चिन्तन करने वाला, एक तार्किक ढंग से, क्रमबद्ध रूप में अपने विचार रखने वाला पहला व्यक्ति मारसिलियो था।

मारसिलियो ने अपनी पुस्तक 'डिफन्सर पैसी' (Defens

or pacis) सन् तेरह सौ चौबीस (१३२४) में लिखी। इस पुस्तक में लिखे मारसिलियो के विचारों का सारांश नीचे दिया जाता है।

समाज में किसान और कारीगर हैं जो समाज का भौतिक सामान को सप्लाई करते हैं और सरकार को लगान देते हैं। समाज में सिपाही हैं, कर्मचारी हैं और पंडे पुजारी हैं। समाज की यह अंतिम क्लास यानी पुजारी लोग कठिनाई पैदा करते हैं क्योंकि इनका काम विवेक द्वारा समझ के बाहर है। चिर मुक्ति के लिए धर्म का चाहे जितना आदर किया जाये, सेक्यूलर दृष्टिकोण से मजहब अनावश्यक है। विवेक से परे की चीज होने के कारण धर्म, विवेकपूर्ण उद्देश्यों और साधनों के लिये, विचाराधीन नहीं लिया जा सकता। दूसरे शब्दों में यों कहें कि सेक्यूलर मामलों का निपटारा मजहब के हस्तक्षेप के बिना ही होना चाहिये। इससे सारांश यह निकला कि सेक्यूलर मामलों में धार्मिक संस्थाओं पर राज्य का कंट्रोल इतना ही जरूरी है जितना खेती, व्यापार आदि अन्य विभागों पर है।

आज कल की भाषा में यों कह सकते हैं कि धर्म एक सामाजिक संस्था है, इसके अंग उपांग भौतिक है और समाज के ही पुर्जे हैं। धर्म की गतिविधियों से सामाजिक नतीजे निकलते हैं। इस प्रकार धार्मिक मामलों का रेगूलेशन राज्य द्वारा उसी ढंग से हो जिस ढंग से अन्य सामाजिक और आर्थिक मामलों का होता है।

मारसिलियो के ऊपर लिखे विचार राज्य से सम्बन्ध रखते हैं। और हमें याद दिलाते हैं कि १३२४ में लिखे गये विचार किस प्रकार १९५० में काम में लिये गये। हमारे संविधान के अनुच्छेद

२५ और २६ में धार्मिक स्वतंत्रता इस शर्त के साथ दी गई है कि राज्य जन शांति, नैतिकता और जन स्वास्थ्य के हित में धार्मिक गतिविधियों पर पाबंदी लगा सकता हैं। अर्थात् धर्म को एक सामाजिक संस्था स्वीकार किया गया है।

चौदहवीं सदी के शुरू में लिखे गये ये विचार, आलोचना, समालोचना, समर्थन, विरोध के विषय बने रहे। तीन सौ बरसों तक इन विचारों का प्रचार, खंडन-मंडन होता रहा। सतरहवीं सदी में एक अच्छा सबल प्रहार धर्मान्धता पर हुआ। इस चोट से मजहब ठीक न हो सका।

★

॥ सोलहवां पाठ ॥

मध्य-युग का एक दूसरा चिन्तक

मारसिलियो के तीन सौ पच्चीस (३२५) बरस बाद एक अन्य विचारक हुए जिन्होंने योरप के चिन्तन पर बहुत प्रभाव डाला। वह चिन्तक था टोमस होबस। टोमस होबस की रचनाएं १६४० और १६५१ के बीच प्रकाशित हुई। होबस की प्रसिद्ध रचना का नाम लेवियाथन (**Leviathan**) है। इन सवा तीन सौ बरसों में कई भी सेक्यूलर चिन्तक नहीं हुआ। हां, सेक्यूलर विचार धीरे-धीरे सर्व-साधारण में प्रचलित होता गया। मारसलियो ने चर्च और राज्य के कामों को अलग रखने के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और बताया कि राज्य जन हित में चर्च के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है।

परन्तु होबस दूसरे विचारों का आदमी था। वह पूर्णरूप से भौतिकवादी था और मजहब को समाज के आगे के विकास में बाधक मानता था। अपने विचारों को होबस ने बहुत स्पष्ट रूप से रखा और इन विचारों को एक दर्शन का रूप दिया। राजनीतिशास्त्र पर होबस सबसे बड़ा लेखक माना जाता है। होबस का वैज्ञानिक भौतिकवाद होबस को एक मौलिक चिन्तक बनाता है। राजनीति

शास्त्र में भौतिकवाद का प्रारम्भ होवस से ही माना जाता है। होब्स ने रेखा गणित, फिजिक्स आदि विज्ञानों का अध्ययन किया और सारांश निकाला कि रचना, सृष्टि और समाज का ईश्वर और धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। विश्व अपने आप में आत्म निर्भर सिस्टम है। आध्यात्मिक शक्तियों का विश्व संचालन में कोई हाथ नहीं है। होबस ने अपना भौतिकवाद विशेषकर रेखा गणित से सीखा। दूसरे विज्ञान जैसे- फिजिक्स, कैमिस्ट्री, बायोलोजी, डारविन का विकासवाद आदि विद्याएं अभी होवस के पहुंच के बाहर थी। न्यूटन की किताब प्रिंसी पी आइ भी अभी नहीं आई थी। होब्स का भौतिकवाद कुछ इस प्रकार का था:—किसी भी रचना, घटना आदि को बिना प्रमाण, बिना सबूत सही मत मानो। किसी चीज को स्वयं सिद्ध मत मानो। पग पग करके आगे बढो और जो पहले साबित हो चुका है उसकी मदद से आगे की ऊंची और जटिल चीज को साबित करो।

भौतिकवादी होवस मजहब और राज्य के सम्बन्धों पर इस प्रकार के विचार रखता था। होवस की मान्यता थी कि हो सकता है कि अध्यातमवाद जैसी कोई चीज हो। लेकिन अध्यातम पर कहने, सुनने और लिखने को कुछ नहीं। अपनी प्रसिद्ध व्यंग्यपूर्ण शैली में होब्स ने अपनी पुस्तक 'लेवियाथन' के बत्तीसवें अध्याय में लिखा है-हमारे मजहब के रहस्यों के बारे में यह है कि गोली को अगर सापतो की सापती निगल जाओ तो हो सकता है कि बीमार को कुछ इलाज मिल जाये। परन्तु उस गोली को अगर चबाने और उगालने की कोशिश करोगे तो गोली का असर मारा जायेगा।

अभौतिक चीजों से नोन मटिरियल चीजों में विश्वास एक बड़ी भूल है। पादरियों के प्रचार की वजह से हम ऐसे विश्वास

रखते हैं। यह मानना और भी बड़ी भूल है कि चर्च ईश्वर को राज-भूमि है। होवस का कहना है कि विश्वास के मामलों में जबरदस्ती नहीं वरती जा सकती। लेकिन विश्वास का सामाजिक प्रदर्शन राज्य के कानूनी वृत में आता है। जहां तक वाहरी नतीजों का सम्बन्ध है पूरी धार्मिक छूट नहीं दी जा सकती। धर्म के बारे में सब वाहरी मान्यतायें, गाजे-वाजे, अधिकार प्रदर्शन, प्रचार आदि सव राज्याधीन हैं। धार्मिक सत्यता को नापने का कोई वस्तुगत ओबजेक्टिव स्टण्डर्ड नहीं है, इसलिए पूजा-पाठ के सब विधि-विधान राज्य की इच्छा के अन्तर्गत हो।

एक प्रसिद्ध सेक्यूलरवादी होलबक भी हुआ है। होलबक ने १७७३ में 'वाइविल ऑफ अथीस्ट' और 'सिस्टम ऑफ नेचर' नामक दो पुस्तकें लिखी। इससे योरप का सेक्यूलरवाद और आगे बढ़ा।

★

: सतरहवां पाठ :

सतरहवीं सदी और सेक्यूलरवाद

प्राचीन इतिहास दुनिया के विभिन्न भागों में पड़े भू-भागों का इतिहास है। प्राचीन इतिहास उदीयमान सभ्यताओं का इतिहास है जो दुनिया के सभी भागों में कटे हुए टुकड़ों में अपने अपने ढंग से विकसित हो रहे थे। परन्तु मध्य युग का इतिहास मोटे रूप में योरप का इतिहास है, और प्रारम्भिक आधुकिन इतिहास भी योरप का ही इतिहास है। योरप के इतिहास में सतरहवीं सदी एक विभाजन रेखा है जो आधुनिक काल और मध्य काल को अलग करती है। मध्य युग सभी दृष्टि से अंधकारमय युग है। धार्मिक अत्याचार, सामाजिक अत्याचार तथा राजकीय अत्याचार का जमाना था वह मध्य युग! विशेषकर धार्मिक अत्याचार का युग था। सोलहवीं सदी में आधुनिक विद्याओं का प्रारम्भ हुआ। देश-विदेश का भ्रमण शुरू हुआ।

आधुनिक विद्याओं का प्रारम्भ गैलिलियो से शुरु हुआ। जमीन गोल है। पश्चिम में जाने से पूर्व में पहुंच जाते हैं। सूरज टिकाऊ है। जमीन घूमती है। प्राकृतिक भूगोल और जमीनी भुगोल

के ज्ञान में वृद्धि हुई। भौगोलिक खोजें हुई। सन् १४९२ में कौलम्बस ने अमरीका ढूंढो। सन १४९८ में वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री रास्ते की खोज की। सोलहवीं सदी में फ्रैंसिस ड्रेक ने जमीन का पूरा चक्कर लगाया। समय आगे पीछे होता है इसका पता लगाया। फिजिक्स विज्ञान में जानकारी बढी। न्यूटन ने १६८७ में अपनी पुस्तक 'प्रिंसपि आइ' प्रकाशित की रेखा गणित के प्रचार से तर्क-वितर्क की भावना बढी और कारण-कार्य के कोज अफेक्ट की प्रणाली का प्रारम्भ हुआ।

सेक्यूलर विद्याओं का प्रारम्भ ही सेक्यूलरवाद का प्रारम्भ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी, मैथेमैटिक्स आदि विद्याओं की सहायता से हमने नेचर को समझा और उसे कंट्रोल में किया। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र आदि की मदद से हमने समाज को समझा और समाज के विकास के नियम जाने और समझे हमने देखा कि कुदरत के कार्य ईश्वर और धर्म से स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, स्वचालित हैं। इसी प्रकार समाज के कार्य, समाज की प्रगति, समाज की व्यवस्थाओं की अदला बदली आदि सब ईश्वरीय हस्तक्षेप से फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, स्वचालित हैं।

सतरहवीं सदी के अन्य चिन्तक न्यूनाधिक मात्रा में सेक्यूलरवादी थे। होब्स, होलब्रक आदि तो स्पष्ट रूप से धर्म विरोधी थे ही। दूसरे विद्वान भी, जिन्हें उस जमाने की भाषा में यूटिलिटैरियनिज़म के समर्थक कहा जाता है, धर्मनिरपेक्ष थे। धार्मिक मामलों में तटस्थ थे। दूसरे उदासीन इंडिफरेंट (**Indiferent**) थे। सतरहवीं सदी के सभी विद्वान **Utilitarian** थे जो मजहबी मामलों में तटस्थ थे। न्यूटन की फिजिक्स, लोके की साइकोलोजी, आधुनिक विद्याएं

सेक्यूलरवाद के आधार हैं। मोंटेस्क्यू, हैलिफैक्स, रूसो आदि सभी विद्वान धर्मनिरपेक्ष थे।

योरप में सतरहवीं सदी के बाद धार्मिक अत्याचार बन्द हो गये। इसका अर्थ यह समझना चाहिये कि मोटे रूप में, सामूहिक रूप से, राज्य की तरफ से या राज्य के समर्थन से होने वाले धार्मिक जुल्म खत्म हो गये। पूरे रूप से अभी साम्प्रदायिकता खत्म नहीं हुई है। मूर्ख, घमंडी, पूर्वाग्रही, बदले की भावना वाले ईर्ष्यालु, बेरहम लोग आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। पर हर एक समाज में, हर एक देश में आज कल यानी सतरहवीं सदी के बाद, बहुसंख्यक जनता सेक्यूलरवादी, तटस्थ या इन्डिफरेंट हो गई।

: अठारहवां पाठ :

आज के सेक्यूलरवाद की स्थिति

ये पंक्तियां जून, १९६८ में लिखी जा रही है। इस समय तेरह देश साम्यवादी है जिनकी आबादी लगभग दुनिया की आबादी का तीसरा हिस्सा है। इस प्रकार लगभग एक अरब लोग तो साफ-साफ ही सेक्यूलरवादी हैं। अब रही दो तिहाई जनता। यानि दो अरब की दुनिया। इस दो अरब की दुनियां में डेढ अरब लोग सेक्यूलरवादी होने चाहिये क्योंकि सभी देशों का बहुमत सेक्यूलरवादी है। हर एक देश का बहुमत सेक्यूलरवादी मानने का भी कारण है। हर एक देश की सरकार बहुमत की प्रतिनिधि हैं और हर एक सरकार धार्मिक अत्याचारों में विश्वास नहीं करती। यों भी कह सकते है कि हर एक सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करती है और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती।

जब हम कहते हैं कि हर एक देश की सरकार सेक्यूलरवादी है तो हमारा मतलब है लगभग हर एक देश की। अपवाद स्वरूप ऐसे देश हैं जो मजहबी कहे जा सकते हैं। यों भी कह सकते है कि उन अपवाद स्वरूप देशों की जनता धार्मिक पूर्वाग्रहों से मुक्त

नहीं है। जनता से मतलब है जनता का बहुमत। इन अपवाद स्वरूप देशों में एक देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान का सरकारी नाम है-इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। हो सकता है कि आगे चल कर केवल नाम ही रह जाये और मजहबी पूर्वाग्रह खत्म हो जाये। परन्तु आज के दिन पाकिस्तानी जनता की यानी बहुमत जनता की भावना निश्चित रूप से धार्मिक है और भारत विरोधी यानी हिन्दु विरोधी है। इसका स्पष्ट सबूत सामने तब आया जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। उस समय उस देश का प्रचार प्रेस, रेडियो आदि मे स्पष्ट रूप से साम्प्रदायिक था। इस्लाम और इस्लामिक हीरोज, इस्लाम में धार्मिक नेताओं की बड़ाई और हिन्दुओं और हिन्दु नेताओं को काट, बुराई, खंडन पाकिस्तान के रेडियो और प्रेस में जोरों से प्रचारित और प्रसारित होता था। साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि यह सब एक हजार बरस के मध्ययुगी संस्कारों का फल है। मध्ययुगी संस्कार आसानी से नहीं मिटाये जा सकते। बहुत बड़ी संख्या में हिन्दु भी इन्हीं मध्ययुगी संस्कारों से पीड़ित हैं।

ऐसे ही देशों में एक देश इजराइल भी है। जैसे पाकिस्तान साम्प्रदायिकता की प्रेरणा से बना है, ठीक वैसे ही इजराइल भी साम्प्रदायिकता की प्रेरणा से बना है। मजेदार बात यह है कि दोनों ही अपवादी देश लगभग एक ही समय में बने हैं। संस्कारवश पाकिस्तान हिन्दु विरोधी है। संस्कारवश ही इजराइल अरब विरोधी यानी इस्लाम विरोधी है। यह सब मध्य युग की देन है। जहां तक इजराइल का प्रश्न है, हिटलरवाद ने यानी फासिस्टवाद ने इजराइल की साम्प्रदायिकता को बढाया था। परन्तु फासिस्टवाद भी तो मध्ययुगी प्रेरणाओं पर खड़ा हुआ था।

सेक्यूलरवाद का विरोधी धार्मिकता यानी साम्प्रदायिकता ही नहीं है। रंग भेद, रेस भेद आदि भी सेक्यूलरवाद के विरोधी तत्व हैं। पीछे हमने अमरीका की प्रसंशा की है अमरीका का संविधान ही ऐसा संविधान है जो अठारहवीं सदी का होते हुए भी धार्मिकता से मुक्त है। यानी उसमें ईश्वर या मजहब का नाम नहीं है।

परन्तु इन बरसों में आकर एक नई किस्म का उत्पीड़न शुरू हुआ है। यह है रेशन उत्पीड़न। सोलहवीं, सतरहवीं सदी में अफ्रीका से निग्रो लोगों को पकड़ कर यू. एस. ए. में ले जाकर बेच दिया जाता था। वहां वे खेतों में काम करते थे। यू. एस. ए. की आबादी उस समय बहुत थोड़ी थी। इसलिये इन निग्रों लोगों की जरूरत पड़ी। सब कुछ ठीक चलता रहा। परन्तु जागृति सभी जगह आई। यू. एस. ए. के लोग भी समानता के अधिकार चाहने लगे। आन्दोलन होने पर समानता के अधिकार दे भी दिये गये है। परन्तु सरकार और जनता हमेशा बराबर बराबर नहीं चलते। साल भर हुआ सिविल राइट्स एक्ट बन कर लागू होने पर भी समाज में अभी उनकी दशा बहुत नहीं सुधरी है। भारत मे भी १९५६ में अनटचेटीबिलीटी एक्ट लागू हुआ था। पर अछूत सामाजिक दृष्टि से आज भी अछूत हैं।

काले गोरे का यह भेद-भाव शिखर में पहुंचा है दक्षिण अमरीका में। दक्षिण अफ्रीका मूलतः गोरों का देश नहीं है। अमरीका के शेष भागों की तरह, दक्षिण अमरीका भी निग्रो लोगों का ही देश है। अफ्रीका के उत्तरी भागों को छोड़कर जहां अरब लोग बस गये हैं, सारा अफ्रीका निग्रो जाति के लोगों का ही है। परन्तु दक्षिण अफ्रीका नाम के थोड़े से, छोटे से टुकड़े में सोलहवीं, सतरहवीं सदी में गोरे

लोग आकर बस गये और मालिक बन गये। आई थी छाछ मांगने और घर की रानी हो बैठी। यह कहावत बहुत प्रसिद्ध है। अफ्रीका के दूसरे इलाकों के मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का जलवायु अच्छा है। रूप सागरीय जलवायु है। इसलिये गोरे लोग बस गये। अश्वेत लोग अब शेष सारी जनता को अलग रखते हैं। वाड़ा बन्दी कर रखी है।

मानव समाज में भेद भाव बहुत हैं। परन्तु यह मजहबी और जातीय भेद-भाव कुछ अनोखे तरीके का है। अनोखा इसलिए कि यह भेद अज्ञात कारणों पर, अवैज्ञानिक कारणों पर, अंधविश्वासों पर, नोन मटीरियल कारणों पर आधारित है। आज के जमाने में ईश्वरीय विधि-विधान को मानव गति विधियों में शामिल करना, मूर्खता की निशानी है।

: उन्नीसवां पाठ :

साम्प्रदायिकता और भारत

साम्प्रदायिकता के लिए भारत सबसे बड़ा केस है। और यह तब जबकि राज्य स्पष्ट रूप से सेक्यूलर है। सरकार भी स्पष्ट रूप से सेक्यूलर है। राज्य सरकारें यानी प्रान्तीय सरकारें भी सेक्यूलर हैं। इसका कारण यह है क जनता में हजारों बरसों के संस्कार जमे हुए हैं। सारा मध्य युगी साहित्य, इतिहास आदि साम्प्रदायिकता से पीड़ित रहे हैं। साम्प्रदायिकता की भावना कई गुणा बढ जाती है जब आक्रमणकारी दूसरे मजहब का हो। मध्य युग एक धार्मिक अंध-विश्वासों और साम्प्रदायिक मूल्यों का जमाना था। आक्रमणकारी के विरुद्ध जनता की भावना स्वाभाविक रूप से घृणा और नफरत से परिपूर्ण हो जाती है। अगर विदेशी आक्रमणकारी दूसरे मजहब का होता था तो फिर यह घृणा कई गुणा बढ कर शिखर पर पहुंच जाती थी। हारे हुए देश पर प्रशासन कायम करके आक्रमणकारी दूसरे अत्याचारों के साथ साथ धार्मिक अत्याचार भी करता था। दूसरी तरफ हारी हुई जनता भी, जहां विदेशी सरकार के विरुद्ध देशभक्ति से प्रेरित होकर घृणा और नफरत करती थी, वहां धार्मिक भावना वश भी विदेशी हकूमत से घृणा करती थी। इस बात को यों भी कह

सकते हैं कि राजा और प्रजा का जो राजनैतिक विरोध होता है वह हिन्दु और मुसलमान का विरोध माना जाने लगा क्योंकि राज मुसलमानों का माना जाता था। सरकार द्वारा उत्पीड़न का अर्थ लगा मुसलमान द्वारा। सरकार को उसके जुल्मों और उसकी कमियों की वजह से जो गालियां पड़ती, वे मानी जाती मुसलमानों को दी गयी गालियां।

इस प्रकार हिन्दुओं में मुसलमानों के विरुद्ध घृणा की भावना बहुत गहरी बैठ गई। संस्कार गहरे बैठ गये। सब मूल्यों का का नाप तोल इस बात से होने लगा कि एक हिन्दु कितना और किस सीमा तक मुसलमान विरोधी है। और फिर खान-पान की भिन्नता, वेश-भूषा की भिन्नता, भाषा की भिन्नता, विवाह शादी और जीवन-मरण के संस्कारों की भिन्नता। विभिन्न प्रकार की दो जीवन विधियां एक दूसरे के सामने प्रतियोगिता में संलग्न थी। अपनी अपनी विधियों की प्रशंसा में और दूसरे की विधि की मजाक में रोज चर्चा होती और यह चर्चा जीवन की आदत बन गई और जीवन का स्वभाव बन गई।

यह भिन्नता आज भी है। दो संस्कृतियों के मिलन का चाहे हजार प्रचार किया जाये, ठोस बात यह है कि संस्कृतियां और जीवन विधियां आज भी भिन्न हैं। इनका एकीकरण करके कोई समन्वय बनाना एक पाखंडपूर्ण प्रयास ही होगा। जैसाकि पीछे बताया गया है सहिष्णुता, टोलरेशन का प्रचार भी कारगर उपाय नहीं है।

एक मात्र उपाय है सेक्यूलरवाद। जीवन का सेक्यूलरीकरण कर दिया जाय। मजहब को सामाजिक जीवन का अंग न

माना जाय। व्यक्तियों के विश्वासों के रूप में मजहब रह सकता है। पर सामाजिक जीवन के रूप में नहीं रह सकता। संस्था के रूप में नहीं रह सकता। पंडे-पुजारी, मुल्ला-मौलवी, पादरी आदि की संस्था राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी संस्था मानी जाये। वेशभूषा अन्तर्राष्ट्रीय हो रही है। भाषा का जहां तक प्रश्न है, अंग्रेजी अभी रखी जाये। धीरे धीरे इसका स्थान हिन्दी अपने आप ही ले लेगी। गिनती अन्तर्राष्ट्रीय रखी जाये। सामूहिक प्रार्थनायें बन्द की जाय। स्कूलों में धार्मिक पुरुषों के उत्सव न मनाये जायें।

ऊपर स्पष्ट किया गया है कि हिन्दु मुसलमानों के आपसी विरोधों का कारण राष्ट्रीयता से व देशी विदेशी के कारणों से सम्बन्धित है। विरोधों की तीव्रता का यही कारण है। इस समय पाकिस्तान से हमारा विरोध भी कुछ इस प्रकार की जटिलता पैदा करता है। पाकिस्तान से हमारा राष्ट्रीय विरोध है। विशेषकर काश्मीर की वजह से। कहीं सीमा तो कहीं नदी पानी की वजह से भी यह विरोध बना हुआ है। इस राजनैतिक विरोध को साम्प्रदायिकता से दोनों तरफ ही जोड़ दिया जाता है। विशेषकर पाकिस्तान में। जैसा कि १९६५ में युद्ध के समय शिखर पर पहुंच गया था।

इसलिए पाकिस्तान से सम्बन्ध सुधारने जरूरी हैं। पाकिस्तान से जब तक खराब सम्बन्ध रहेंगे, पाकिस्तान निरन्तर रूप से हिन्दु धर्म पर आक्रमण करता रहेगा। उसकी प्रतिक्रिया भारत पर भी होगी। इस प्रकार यह साम्प्रदायिकता का रोग देश को लगा रहेगा। परन्तु काश्मीर का प्रश्न सुलझता दीखता नहीं है। यह यों ही चलता रहेगा, तो फिर कब तक चलता रहेगा? जब तक विश्व चलता रहेगा, क्या तबतक चलता रहेगा? नहीं ऐसा तो नहीं है तो?

कब तक ? इस प्रश्न का उत्तर है:- जब तक हम सेक्यूलरवादी नहीं हो जाते तब तक ! सेक्यूलरवाद का और काश्मीर का विशेष सम्बन्ध है। काश्मीर का प्रश्न उठाया जाता हैं हिन्दू मुसलमान के भेद भाव पर! यदि हम हमारे देश में सेक्यूलरवादी हो जाते है तो काश्मीर के मुसलमान प्रथम तो सेक्यूलरवादी हो जायेंगे। और अगर सेक्यूलर-वादी नहीं भी होंगे, तो भी वे हम पर पूरा भरोसा करेंगे। साम्प्रदायिक झगड़ों का डर भय जाता रहेगा। सामाजिक जीवन में भेदभाव जाता रहेगा। काश्मीर का प्रश्न सेक्यूलरवाद से अभिन्न और अटल रूप से जुड़ा हुआ है।

काश्मीर का प्रश्न आज तक जोर नहीं पकड़ सका, इसका एक मात्र कारण हमारी सरकार का सेक्यूलरवादी होना। परन्तु जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, सरकार का अकेली का सेक्यूलरवाद काफी नहीं है। समाज का सेक्यूलारीकरण जरूरी है। आज हमारे देश में समय समय पर साम्प्रदायिक दंगे फसाद हो जाते हैं। सरकार के वश की बात नहीं है! हां दंगे छिड़ जाने के बाद और कुछ नुकसान हो जाने के बाद, सेक्यूलर सरकार उस स्थिति पर काबू पा लेती है।

भारत के राजनैतिक, सामाजिक जीवन को सुख शांतिमय बनाना सेक्यूलरवाद पर निर्भर है।

★

: बीसवां पाठ :

सेक्यूलरवाद का दर्शन शास्त्र

मध्ययुग का समाज, यानी वह समाज जो जंगली अवस्था मे निकल चुका था परन्तु जिसमें मानव समाज के पूर्ण लक्षण अभी उदय नहीं हुये थे, अपने सभी धंधों में देव, देवी, ईश्वर आदि अंतरीक्षीय शक्तियों से सहायता और प्रेरणा लेता था। उसकी सहायता के बिना सामाजिक समारोह, सामूहिक कार्य, सामूहिक निर्णय आदि सभी अपूर्ण और असम्पन्न माने जाते थे। खेती, व्यापार, उद्योग, यात्रा, युद्ध, शांति, भवन निर्माण, विवाह, जीवन, मरण सभी का आरम्भ अंतरीक्षीय शक्तियों के नाम से होता था। विद्याओं का आरम्भ तो विशेषकर देवी सहायता से हुआ माना जाता था। ज्ञानी मानी और विद्वान लोग तो देवी शक्ति से विशेष सम्पर्क रखते माने जाते थे। विद्या का प्रारम्भ ही आध्यात्मिक विद्या से हुआ। भौतिक विद्याओं में सबसे पहली विद्या जो अध्यात्मवाद की विद्या से मिली वह थी गणित शास्त्र। थोड़ा आगे चलकर भूगोल खगोल। तीसरे नम्बर पर रेखा गणित बीज गणित। चिकित्सा शास्त्र आधा आध्यात्मिक और आधा भौतिक। प्रत्येक किस्म की लिखावट ईश्वर के नाम से या उसके छुट भइयों के नाम से होती थी विद्याओं के विकास के साथ साथ आध्या-

त्मिक चिंतन का भी विकास हुआ, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, यह जन्म, अगला पिछला जन्म, आत्मा परमात्मा का सिद्धान्त आदि सब एक साथ मिलाकर एक सिस्टम के रूप में रख दिये गये। इन सबका एकीकरण, इंटिग्रेशन इतनी सूक्ष्मता से किया गया कि इस सिस्टम में कहीं भी भीतरी अंतर्विरोध दिखाई नहीं देता था। यह एक स्वयं सिद्ध आत्म निर्भर सिस्टम यानि विद्या बन गई।

लेकिन क्या मजेदार बात है कि जो विद्या अध्यात्मवाद से आरम्भ हुई, वही विद्या अध्यात्मवाद को खतम कर रही है। रहस्यों का धीरे धीरे उद्‌घाटन होने लगा। हमारे इस पृथ्वी कहे जाने वाले ग्रह की खोज जो सन् १४९२ में कोलम्बस से शुरू हुई थी, वह जब पूरी हो गई तो सन् १९५७ में यूरी गगारिन द्वारा अंतरिक्ष की खोज शुरू हुई। ईश्वर और ईश्वरीय परिवार के सदस्य जिन स्थानों पर बसते माने जाते थे वे धीरे धीरे ढूंढ निकाले गये और मानव चरणों से पवित्र किये गये। सन् १९११ में अमण्डसन ने उत्तरी ध्रुव खोज डाला और देवी शक्तियों को वहां से खदेड़ दिया। कुछ वर्ष बाद दक्षिण ध्रुव भी खोज डाला। इस प्रकार साल में एक ही दिन और एक ही रात के प्रदेशों का क्षेत्र मानव यात्राओं का सामान्य स्थल बन गया। सन् १९५३ में माउंट एवरेस्ट की चोटी भी ढूंढ निकाली। इस प्रकार सन् १९५३ तक इस ग्रह के उन स्थानों पर मानव ने विजय प्राप्त कर ली जहां देवी देवता वास करते थे। सन् १९५७ उन्नीस सौ सत्तावन में आकाश की खोज शुरू हुई और स्वर्ग आदि प्रदेश जो बड़े देवताओं के वासे माने जाते थे, मानव वास के लिए उपयुक्त बनाये जा रहे हैं। वहां पहुंचने के लिये रास्ते में स्टेशन, सराय और धर्मशालायें बनाई जा रही हैं।

विद्याओं का प्रारम्भ अध्यात्मवाद से यों माना जाता है कि जब क्यों और कैसे के प्रश्न उठते तो अंत में कह दिया जाता कि आगे ईश्वर जाने। अर्थात् प्रत्येक घटना, प्रत्येक रचना, प्रत्येक फिनो मेना का अंतिम कारण ईश्वर को माना जाता था। घड़ा कैसे बना? कुम्भार ने बनाया। कुम्भार को किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। ईश्वर को किसने बनाया? यहां आकर कह दिया जाता कि वह अंतिम कारण है। वह फाइनल कोज है। परिवार के सदस्य अपनी आथोरटी अपनी हैसियत और सत्ता परिवार के मुखिया से प्राप्त करते थे। परिवार का मुखिया अपनी ओथौरिटी अपनी सत्ता ट्राइब से यानि परिवार समूह से प्राप्त करता था। परिवार समूह का मुखिया अपनी सत्ता राजा से प्राप्त करता था। राजा अपनी सत्ता ईश्वर से प्राप्त करता था। अंतिम स्रोत सत्ता व न्याय का ईश्वर ही था। उलझी हुई बात को राजा पर छोड़ देते थे क्योंकि वह ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। 'राजा करे सो न्याय' यह कहावत सारे मध्यकाल की व्यवस्था को व्यक्त करती है।

लेकिन आज मामला सारा उल्ट हो गया है। उलझी हुई बात को जनता सुलझाती है। आज के समाज शास्त्र में अंतिम कारण फाइनल कोज जनता को माना गया है। कोई बात जब उलझ जाती है तो चुनाव द्वारा जनता फैसला करती है राजनैतिक संकट आम चुनावों द्वारा मिटाये जाते हैं। स्कूल के संकट स्टाफ कौंसिल और छात्र संसद द्वारा मिटाये जाते हैं। गांव के संकट पंचायत द्वारा मिटाये जाते हैं या पंचायत चुनाव द्वारा मिटाये जाते हैं। दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं कि आज के दिन समाज स्वतंत्र है, आत्म निर्भर है, स्वयं संचालित और स्वयं संगत है। आज का समाज बाहरी शक्तियों के बंधन से निकल कर आजाद हो गया है और अपने भाग्य का फैसला

खुद करता है। जनतंत्र और लोकतंत्र उपभोग का करता है। अधिक स्पष्ट रूप में इसे यों भी कह सकते हैं कि मूलतः आज का समाज सेक्यूलर है। समाज के सब फैसले सेक्यूलर ढंग से ही होते हैं। कहीं भी, किसी भी काम में मजहब की, ईश्वर की, देवी देवता, पीर पैगम्बर की मदद का सहारा नहीं लिया जाता।

इस दार्शनिक दृष्टि से देखा जाय तो आज के सभी समाज सेक्यूलर हैं। आज के दिन दुनियां में १२५ देश हैं। सवा सौ देश हैं। यानी राष्ट्र संघ के सवा सौ देश हैं। ये सभी देश सेक्यूलर हैं। इक्के दुक्के अपवाद स्वरूप देशों को छोड़ दो।

परन्तु ताज्जुब की बात है कि सारे राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक कार्य सेक्यूलर होते हुये भी, अधिकांश देश अभी साम्प्रदायिकता से छुटकारा नहीं पा सके हैं। सेक्यूलरवाद को दर्शन शास्त्र के रूप में सभी ने स्वीकार किया है। राजकीय, सामाजिक सभी कार्य सेक्यूलरी ढंग से सम्पन्न किये जाते हैं। परन्तु फिर भी साम्प्रदायिकता किसी न किसी रूप में सभी देशों में पाई जाती है। डॉक्टर डोनल्ड यूजीन स्मिथ ने अपनी किताब 'इन्डिया एज ए सेक्यूलर स्टेट' में ठीक ही कहा है कि 'सेक्यूलर स्टेट का विचार एक आदर्श है जिसे अभी तक किसी भी देश ने पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया है' यों भी कह सकते हैं कि सवा सौ देशों में सभी में सेक्यूलर समाज है और किसी में भी नहीं है। किसी में भी नहीं है और सभी में है। कहीं नहीं है और सभी में है। इसका आखिर क्या कारण है ? इसका दार्शनिक और सेक्यूलरी उत्तर यही है कि मनुष्य ने अपनी कमजोरियों से छुटकारा नहीं पाया है। मनुष्य किसी जमाने में कुदरत का सदस्य था। ठीक इसी प्रकार

जिस प्रकार वुल्फ **Wolf** आज भी कुदरत का सदस्य है। अभी तक मनुष्य में कुदरती संस्कार हैं। वुल्फपना है! **Wolfism** है। पांच आदमियों में बैठ कर सिद्धान्त की दर्शन की बात करता हैं और अकेला होता है तब नंगा हो जाता है ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वुल्फ है।

आज सन् १९६८ में भी साम्प्रदायिक भावना के उफान् में हत्यायें होती हैं। चाहे यू. एस. ए. हो, चाहे इन्डिया हो।

परन्तु फर्क है। मध्ययुगी जुल्मों में और आज के जुल्मों में आज का मनुष्य अपनी हिंसा के लिये अपनी पगनेसिटी **Pugnacity** के लिये किसी दर्शन का सहारा नहीं ले सकता। आज वह इसलिये चोरी छिपे हिंसा करता है। मनुष्य मनुष्य का भाई बनेगा और वह होगा सेक्यूलरी समाज में जिस दर्शन के रूप में सबने मान लिया है।

: इक्कीसवां पाठ :

सेक्यूलरवाद का दर्शन शास्त्र–२

मानव प्रवृतियों पर दर्शन शास्त्रीयों ने बहुत लिखा है। मध्य युग में भी लिखा गया और आधुनिक युग में लिखा गया और आज भी लिखा जा रहा है। मानव की मूल प्रवृतियां, प्रकृतियां, आदतें क्या है? कौनसी आदतें हैं जो अटल और स्थाई हैं और कौनसी ऐसी हैं जो प्रचार और परिस्थिति से बदली जा सकती हैं। मानव की पीछे की और आज की हिस्टरी देखने से ऐसा मालुम पड़ता है कि लड़ाई करना मनुष्य की मूल प्रवृति है। मूल आदत है। मनुष्य लड़ाई करने का शौक रखता है। मानव युद्ध प्रिय प्राणी है **Man is a Pugnacions animal** मानव अपनी पगनैसिटी को संतुष्ट करने के लिये बहाना ढूंढता रहता है। महत्वपूर्ण बहाना नहीं है तो कोई तुच्छ बहाना ही सही। यह प्रवृति मनुष्य ने संस्कारों से पाई है। मानव रूप में आने से पहले आज का मानव जंगली जानवर था। वुल्फ था। मानव रूप में आने के बाद भी लाखों वर्षों तक वुल्फ था। एक दूसरे को खोसकर खाता रहा। खोस कर खाना मानव की पुरानी आदत है। लड़ाई करने का अच्छा बहाना रहा है। मध्ययुग में खोसकर खाने

की आदत को रोकने के लिये, समाज में शांति रखने के लिये, धर्म का उदय हुआ। धर्म को इस काम में कुछ सफलता भी मिली। पर मूल आदत को बदलने में धर्म असफल रहा कुछ सफलता मिली और कुछ समय के लिये मिली। कुछ सदियों के बाद धर्म खुद ही लड़ाई का बहाना बनने लगा।

योरप में लगभग डेढ हजार वर्ष तक ईसाई मत को स्वीकार कराने के लिये मनुष्य लड़ता रहा। अब सारा योरप ईसाई हो गया और एक बहाना खत्म हुआ तो ईसाई लोग आपस में लड़ने लगे। ईसाई मत में शाखायें और उपशाखायें बनने लगी। आपस में घोर संग्राम होने लगा। लोग जीवित जलाये जाने लगे। ऐसा सभी जगह हुआ पर योरप का जिकर इसलिये किया जा रहा है कि योरप की हिस्टरी पूरी मिलती है और सबकी जानकारी में है।

साम्प्रदायिक झगड़ों के बारे में भारत का उदाहरण टिपीकल है। यह ठीक है कि डेढ हजार वर्ष तक भारत में साम्प्रदायिक हिंसायें नहीं हुई। वैदिक धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म और फिर हिन्दु धर्म भारत में प्रचार पाते रहे शास्त्रार्थ होते रहे। पर लड़े नहीं। साम्प्रदायिक भावना, साम्प्रदायिक कटुता का आरम्भ होता है तेरहवीं सदी से। यह इसलिये कि केंद्रीय सरकार विदेशी सरकार मानी जाने लगी। बाहर से आया हुआ राज माना जाने लगा। धार्मिक विरोध और राष्ट्रीय विरोध दो विरोध जनता और सरकार के बीच हो गये। यह राष्ट्र का दुर्भाग्य था कि ऐसा हुआ। साम्प्रदायिकता का आरम्भ यहीं से होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया के रूप में यह भावना प्रबल होती रही। जड़ पकड़ती गई। गहरी होती गई। योरप की तरह हमारे यहां उपसाम्प्रदायिकतायें भी है। हिन्दुओं में जातिवाद झगड़े

की जड़ मौका पाकर हो सकती है। मानव की झगड़े की प्रवृतियां का बहुत बड़ा उदाहरण पंजाब से मिलता है। पूरा पंजाब था उस समय हिन्दु और मुसलमानों में साम्प्रदायिकता थी। पंजाब के दो भाग १९४७ में हो जाने के बाद मुसलमान सीन से हट गये। अब रहे सिक्ख और हिन्दु। धीरे धीरे साम्प्रदायिकता सिक्खों और हिन्दुओं में विकसित हो गई। पंजाब के फिर दो भाग १९६६ में हो गये। हरियाणा और पंजाब दो भाग हो गये। सिक्ख टल गये। अब हरियाणा में जाट, अहीर, ब्राह्मण और बनिये आपस में उपसाम्प्रदायिकता विकसित करने लगे। मानव की पगनेसिटी का यह एक अच्छा उदाहरण है। उपसाम्प्रदायिकता का दूसरा उदाहरण बिहार से मिलता है। वहां भी राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ आपसी विरोध विकसित कर रहे हैं। मद्रास ब्राह्मण और अब्राह्मण विरोध के लिये हमेशा मशहूर रहा है। क्योंकि उधर मुसलमान पहले से ही कम थे। कहीं भाषा, कहीं जाति, कहीं धर्म कहीं क्षेत्र जैसे आसाम आसामियों के लिये, बंगाल बंगालियों के लिये, मनुष्य की युद्ध प्रियता के लिये बहाना बन जाते हैं। मूल चीज है हिंसा प्रवृत्ति। रंग भेद, रेस भेद, राष्ट्र भेद आदि सब युद्ध प्रियता के संतोष के लिये बहाना मात्र है।

बहाना इसलिये कहा है कि सिद्धांत रूप में हम साम्प्रदायिकता को गलत मानते हैं। हम सब राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। और राष्ट्र संघ के सिद्धांत और पास किये गये प्रस्ताव, रिजोल्यूसन हमारे सामने है। फिर भी हम लड़ पड़ते है। लड़ने के लिये बड़े कारण अगर नहीं है तो हम छोटे कारणों को ही बड़ा कारण मान लेते हैं और लड़ पड़ते हैं। विरोध की भावना को संतुष्ट करने के लिये कुछ न कुछ बहाना मिलना चाहिये। एक विरोध को दूर करने के लिये, दूसरे को लाना जरूरी है। धर्म आधारित विरोध मिटाना चाहो तो दूसरा विरोध उसके स्थान पर रखो।

योरप में अठारहवीं सदी सेक्यूलरी भावना के उदय का कारण यह था कि वहां आधुनिक विद्याओं का आरम्भ हुआ। विद्याओं ने अंधविश्वासों को झूठा बताकर सेक्यूलरवाद के लिये दार्शनिक आधार कायम किया। पर इतना काफी नहीं था। कारखानों की स्थापना से वर्ग भावना का उदय हुआ। कहना चाहिये वर्ग भावना का प्रारंभ हुआ। वर्ग भावना मनुष्य में सदा से रही है पर औद्योगिक क्रांति से पहिले वह मान्यता प्राप्त नहीं थी। जागृत अवस्था में नहीं। कारखाने के मजदूर एक साथ रहने लगे। एक साथ रहने से ही संगठन सम्भव है संगठन से ही प्रचार सम्भव है। प्रचार से ही बात कारगर और स्पष्ट होती है। धर्म का प्रचार भी इसी प्रकार हुआ था एक महापुरुष को, मनुष्य का दुख और जुल्म देखकर, समाधान ढूंढने के लिए लाचार होना पड़ा। प्रारम्भ में मजहब समस्याओं के समाधान के रूप में प्रगट हुआ। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है मजहब ने दीन दुखियों के जुल्म, अत्याचार और दुःख को दूर भी किया। जनता में व्याप्त दुःख-दर्द ही मजहबी प्रचार के लिए वस्तुगत परिस्थिति पैदा करते थे परन्तु सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी जैसा कि जानते हैं दल में उपदल अवश्य पैदा हो जाते हैं। मजहब में भी उपमजहब पैदा हो गये। या दो मजहबों को साथ रहना पड़ गया। सब जगह मजहबी मेजोरिटी और माइनोरिटी पैदा हो गयी और मजहबी उत्पीड़न शुरू हुआ।

कोई संगठित जुल्म किसी मजहबी माइनोरिटी पर नहीं होता है और सम्भव भी नहीं है। पर समय समय पर बिखरे रूप में स्पोंटेनियस (Spoutaneous) दंगे फिसाद अवश्य हो जाते हैं। ये भी बहुत दफा गंभीर रूप धारण कर लेते हैं। जान-माल का बहुत नुकसान होता है। भारतीय समाज बहुत कोशिश करता है कि ये साम्प्रदायिक झगड़े बंद हों। पर सफलता नहीं मिल रही है।

सफलता मिल भी नहीं सकती। दंगा फिसाद के लिए ओबजेक्टिव परिस्थिति मौजूद है और सबजेक्टिव परिस्थिति मौजूद है। ओबजेक्टिव वस्तुगत परिस्थितियां ये हैं:—

१. सामाजिक—

(क) हिन्दुओं और मुसलमानों का आपस में कोई सम्पर्क ही नहीं है। मुसलमान दुर दुर धुर धुर के शिकार हैं। वे हिन्दुओं के पानी के, भोजन के हाथ नहीं लगा सकते। रसोई, प्याऊ के पास नही आ सकते। इस अर्थ में मुसलमान अछूत ही माने जाते हैं। यह सामाजिक उत्पीड़न है। साथ खाना और साथ पीना ही मेलजोल का आधार है। यह आधार गायब है।

(ख) आपस में वैवाहिक सम्बन्ध नही होते हैं। जब मूल सम्बन्ध ही नहीं है तो पत्तों का और टहनियों का सम्बन्ध मेल-जोल पैदा नहीं कर सकता।

(ग) पोशाक, वेशभूषा, हेअर कटिंग आदि शरीर का बाहरी रूप बहुत भिन्न है और एक दूसरे को यह भिन्नता पुरानी यादों का अभिनव अभिनय दिखाती रहती है।

२. सांस्कृतिक—

संस्कृति का अर्थ है पुरानी संस्कृति। प्राचीन काल में सांस्कृतिक जीवन प्रधानतया धार्मिक जीवन ही था। प्राचीन संस्कृति का अर्थ है मजहब। मुसलमान आये तेरहवीं सदी में। पुरानी संस्कृति के निर्माण में मुसलमानों का कोई हाथ नहीं है। हम जब संस्कृति की चर्चा करते है, पढाते हैं, तो उसमें मुसलमानों को कोई रुचि नहीं हो सकती और मुसलमान मन ही मन में बुरा फील करते हैं। इसकी प्रतिक्रिया हिन्दुओं पर होती है और साम्प्रदायिकता बढ़ती रहती है। यह बात भी ध्यान

देने लायक है कि भारत की प्राचीन संस्कृति के निर्माण में शुद्रों का भी सहयोग नहीं था। प्राचीन संस्कृति पंडितों की बनाई हुई है और उन्होंने उसे क्षत्रियों के लिए बनाया था।

३. साहित्यक—

साहित्य में कितने ही लेख, निबन्ध, कविता, नाटक ऐसे हैं जो मुसलमान शासकों के विरुद्ध और मुसलमानी राज के विरुद्ध लिखे गये थे और लिखे जाते हैं। यह स्वाभाविक है और आंशिक रूप से सही भी है। परन्तु मुसलमान लोग इसे मुसलमानों के विरुद्ध मानते हैं। यह भी स्वाभाविक है। इससे भी भावनाएं बढ़ती रहती है।

४. ऐतिहासिक—

तेरहवी सदी से १२०६ से आगे के इतिहास को सावधानी से लिखने की जरूरत है। यह बात सही है कि राजा अपनी प्रजा पर जुल्म करता है। राजा और प्रजा में अंतर्विरोध होता है। स्वाभाविक है। मुसलमानी शासकों के जुल्मों को हम लोग मुसलमानों द्वारा किया हुआ मान लेते हैं और इस प्रकार मुसलमानों के विरुद्ध भावना पैदा होती हैं। मुसलमानी शासकों की, की गई आलोचना मुसलमान अपनी आलोचना समझते हैं। उस जमाने में, मध्य युग में केन्द्रीय शासकों और स्थानीय शासकों के बीच हुए युद्धों को मुसलमानों द्वारा हिन्दुओं पर किया हुआ आक्रमण मान लिया जाता था और फिर इसी भाषा और इसी दृष्टिकोण से वे घटनाएं लिखी गईं और लिखी जाती है। आजादी के बाद यह प्रवृति ज्यादा बढ़ गई है। यानी शिक्षा क्षेत्र में ह्यूमैनिटी ग्रुप (Humanity group) को इतिहास, भाषाएं, सामाजिक ज्ञान आदि को सावधानी से पढ़ने की जरूरत है।

ये वस्तुगत परिस्थितियां जब तक मौजूद है तब तक समय समय पर छुट-पुट घटनाओं की सम्भावना बनी रहेगी।

ऊपर लिखी ओबजेक्टिव परिस्थितियों के साथ साथ सबजेक्टिव परिस्थितियां भी मौजूद है। ये दोनों प्रकार की परिस्थितियां साम्प्रदायिकता को कायम रखती है। यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि सबजेक्टिव परिस्थितियों को, तत्वों को तभी सफलता मिलती है जब ओबजेक्टिव परिस्थितियां मौजूद हो।

१. हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों कम्यूनिटीज में कुछ पार्टियां हैं जिनसे साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है।
२. कुछ धार्मिक गुरुओं द्वारा भी प्रच्छन्न रूप से प्रचार होता है।
३. पाकिस्तान द्वारा निरन्तर प्रचार चलता है।

साम्प्रदायिकता को रोकने के लिए कानून बनाने की सोची जाती है और राज्य प्रशासन को हिदायतें दी जाती है कि साम्प्रदायिकता में भाग लेने वालों पर यानी दंगे फिसादों में हिस्सा लेने वालों पर सख्ती से पेश आये। पर इन बातों से कोई सफलता नही मिल सकती। अगर साम्प्रदायिकता को मिटाना है तो वस्तुगत और मनोगत परिस्थितियों को मिटाना चाहिये।

: बाइसवां पाठ :

दैनिक जीवन में सेक्यूलरवाद

अपने दैनिक जीवन में, दिनचर्या में जो आज से ही नई चीज करें वह यह है कि हम समाज में किसी को घटिया, किसी को बढ़िया किसी को पवित्र, किसी को अपवित्र न समझें। यह छुआछूत की भावना हिन्दुओं में विशेष रूप से पाई जाती है। सवर्ण हिन्दुओं में यह एक विचित्र भावना पाई जाती है कि अपनी जात बिरादरी का व्यक्ति चाहे जितना मैला कुचैला हो, यहां तक कि चाहे बीमार भी हम उसके हाथ का खा पी लेंगे। यहां तक कि एक थाली में खा पी लेंगे। जूठे थाली गिलास में खा पी लेंगे। दूसरी जात बिरादरी का अगर हुआ तो हम उससे सौ परहेज करेंगे। शूद्र हुआ तो पूर्ण बहिष्कार। मुसलमान हुआ तो नब्बे फीसदी बहिष्कार। ईसाई हुआ तो अस्सी फीसदी बहिष्कार। इस सामाजिक बहिष्कार ने हिन्दु धर्म को नुकसान पहुंचाया और भारत देश को नुकसान पहुंचाया।

साम्प्रदायिकता दूसरी जगहों पर भी है। पर यह पूर्ण सामाजिक बहिष्कार नहीं पाया जाता। रसोई पनिण्डा की यह झूठी पवित्रता हमें छोड़ देनी चाहिये। शामिल पनिण्डा, शामिल किचन, शामिल बर्तन इतना तो हो ही जाना चाहिये। गिलास, लोटे से मुंह लगा कर पानी नहीं पीना चाहिये। ऊक से पानी पीना चाहिये। एक

दूसरे के थूक से तो बचना ही चाहिये। छुआछूत के इस विषय पर एक बात का ध्यान रखना चाहिये। व्यक्ति व्यक्ति में तो हम लोग परहेज नहीं रखते हैं। मिल लेते हैं। एक दूसरे के हाथ का खा पी लेते हैं। पर परिवार से परिवार में यह मिलन नहीं हो पाता है। हमारे घर पर जब कोई मुसलमान आता है तो वह हमारे पनिण्डे में प्रवेश नहीं कर सकता। अपने हाथ से हमारे घड़े से पानी लेकर नहीं पी सकता। यही बात शूद्र पर भी लागू है। सवर्ण हिन्दु मुसलमानों को छू लेते हैं। उनसे हाथ मिला लेते हैं। उनसे अड़ कर बैठ जाते हैं। पर शूद्रों को छूते भी नहीं हैं। शूद्रों और मुसलमानों में बस इतना ही फर्क माना जाता है। रसोई पनिण्डे का यह सिद्धांत ईसाई आदि पर भी लागू है। सो सेक्यूलरवादी हिन्दु सबसे पहली बात यह करेगा कि वह छुआछूत छोड़ेगा। रसोई पनिण्डे वाले बहिष्कार को छोड़ेगा।

हमारे देश में कई किस्म की साम्प्रदायिकता है। सबसे बड़ी साम्प्रदायिकता है हिन्दुओं और मुसलमानों में। इस साम्प्रदायिकता का प्रतीक आज कल हिन्दी उर्दू भी बन गये हैं। मुसलमानों को उर्दू प्रिय है और हिन्दुओं को हिन्दी प्रिय है। इस प्रश्न पर भी साम्प्रदायिक झगड़े हो जाते हैं। सेक्यूलरवादी इस विवाद में नहीं पड़ेगा। हिन्दु परिवार में जन्मा सेक्यूलरवादी अधिक से अधिक अपनी भाषा में उर्दू के शब्दों का प्रयोग करेगा। मुसलमान परिवार में जन्मा सेक्यूलरवादी भी ऐसा ही करेगा। पर यह राय हिन्दु को ही ज्यादा माननी चाहिये, क्योंकि वह मैजोरिटी कम्यूनिटी का सदस्य है। हिन्दुओं को चाहिये कि वे ऐसा कार्य करें जिससे मुसलमानों को पूरा भरोसा होता जाये कि वे भाई के नाते स्वीकार किये जाते हैं और उनका भविष्य सुरक्षित है। भाषा के सम्बन्ध के सम्बन्ध में एक जरूरी बात याद रखनी चाहिये। दूसरे मजहब वाले को भाषा से

नफरत इतनी नहीं होती। उन्हें नफरत होती है भाषा की मार्फत किसी संस्कृति विशेष का प्रचार। हिन्दी भाषा में, उदाहरणार्थ, हिन्दू माइथोलोजी की बातें नहीं आनी चाहिये। हिन्दु विश्वासों की बातें नहीं आनी चाहिये। अनेकानेक पौराणिक कथाएं, रामायण, महाभारत की कथाएं, देवी देवता की कथाएं टालनी चाहिये।

तीसरी बात जो एक सेक्यूलरवादी को अपने जीवन में करनी चाहिये वह है अभिवादन की। एक दूसरे को मिलते समय, जुदा होते समय सभी समाजो में अभिवादन की चाल है। हिन्दुओं में राम राम, जै रामजी की, जय जमना मैया की, जय गंगा मैया की, नमस्ते आदि का चलन है। मुसलमानों में सलाम, सलामालेकम, अदाब अर्ज आदि का रिवाज है। विभिन्न सम्प्रदाय के लोग जब आपस में मिले तो क्या करे ? अभी तक इस विषय को किसी ने छुआ नहीं है। यह आश्चर्य है। मेरा मत है कि मेजोरिटी कम्यूनिटी के सदस्य को चाहिये कि वह पहले ग्रीट करे और माइनोरिटी कम्यूनिटी के रिवाज को अपनाये। हिन्दु भाई को चाहिये कि वह मुसलमान भाई से मिले या जुदा हो तो अदाब अर्ज या सलाम करे। ग्रीटिंग का का तरीका सिक्खों का भी भिन्न है। सिक्ख सत् श्री अकाल से अभिवादन करते हैं। हिन्दुओं को चाहिये कि सिक्खों से इसी भाषा में अभिवादन करें।

सलाम की वजह से मियां को क्यों नाराज किया जाय। यह कहावत पुरानी और प्रसिद्ध है। कहते हैं मियां सलाम से बहुत राजी होता है। मनोविज्ञान के इन चुटकलों में बहुत सार भरा है।

चौथी बात जो हम अपने दैनिक जीवन में करेंगे वह यह कि हम अपने शरीर के बाहरी रूप को सेक्यूलर बनायेंगे। अपने माथे

पर, कान पर हम तिलक आदि नहीं करेंगे। प्रदर्शन के लिए चोटी अलग नहीं रखेंगे। जनेऊ की भी जरूरत नहीं है। इसी प्रकार आधुनिक मुसलमान को भी चाहिये कि दाढी मूंछ का मुसलमानीकरण न करे। सिर का मोडीकरण न करे। यानी सारे बाल न कटायें। अच्छा है हम सब पश्चिमी ढंग का कटिंग करायें। धोती पाजामा का फर्क भी साम्प्रदायिकता को प्रगट करता है। अच्छा है हम पश्चिमी पोशाक को अपनायें। तहमत भी साम्प्रदायिकता प्रगट करता है। इसे भी छोड़ना चाहिये।

पांचवीं बात जो हम अपने दैनिक जीवन में करें वह यह कि हम धार्मिक जुलूसों में, धार्मिक मेलों में शामिल नहीं होंगे। धर्म को प्रदर्शन की चीज नहीं मानेंगे। आर्थिक और राजनैतिक भावना को प्रगट करने के लिए ही प्रदर्शन किये जाते हैं। धार्मिक भावना को प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं।

हम किसी साम्प्रदायिक पार्टी के सदस्य नहीं बनेंगे। सेक्यूलरवाद को ठेस पहुंचने वाला सबसे बड़ा खतरा साम्प्रदायिक पार्टी हैं। अगर कोई साम्प्रदायिक पार्टी यह दावा करती है कि वह साम्प्रदायिक नहीं है तो समझ लो वह और भी ज्यादा खतरनाक है। झूठ और सच जब मिल जाते हैं तो वे फिर समाज का सर्वनाश कर देते हैं।

हमारे दैनिक कार्यों में हम ईश्वर को और अपने इष्ट देवता की मदद मांगने के आदी हो गये हैं। बात बात में और बार बार हम ईश्वर का नाम लेते हैं और घरेलू देवताओं के नाम लेते हैं। अपने आपको ईश्वर के सामने हीन मान कर कहते हैं कि अगर

भगवान ने चाहा तो ऐसा हो जायेगा। मेरा ऐसा करने का विचार है आगे हरि की इच्छा। यह आदत हमें छोड़ देनी चाहिये। भगवान का, अल्लाह का खुदा नाम अपनी दैनिक भाषा से निकल जाना चाहिये। इन सात बातों के साथ और भी अनेक बातें हैं जो सेक्यूलर जीवन के खिलाफ है और हमें छोड़ देनी चाहिये।

: पाठ तेइस :

साम्प्रदायिकता के भारत में भेद

हमारे देश में साल भर मजहबी तथा साम्प्रदायिक झगड़े होते हैं और साल भर ही हम उस बीमारी की दवा दारू पर विचार करते रहते हैं। पर आज तक हमने इस बीमारी के भेद नहीं किये हैं। इस बीमारी के भेद करने से, किस्में छांट देने से इलाज का आविष्कार करने में आसानी पड़ती है। साम्प्रदायिकता के भेद ये हैं:—

१. सबसे बड़ी साम्प्रदायिकता हिन्दु और मुसलमानों के बीच में
२. दूसरे नम्बर पर हिन्दु और सिक्खों की साम्प्रदायिकता
३. हिन्दुओं और पारसियों की साम्प्रदायिकता
४. हिन्दुओं और बौद्धों की साम्प्रदायिकता
५. हिन्दुओं और जैनों की साम्प्रदायिकता
६. हिन्दुओं और हरिजनों की साम्प्रदायिकता
७. हिन्दुओं में जातिगत साम्प्रदायिकता

कुछ पाठक शायद वर्गीकरण को स्वीकार नहीं करेंगे। वे कहेंगे कि भारत में साम्प्रदायिकता एक ही है- हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच। शेष छः साम्प्रदायिकता की श्रेणी में नहीं आते। इन पाठकों की यह बात सही है कि लगता ऐसा ही है कि साम्प्रदायिकता

एक ही है। लगता इसलिये है कि इस समय सब झगड़े हिन्दुओं और मुसलमानों में ही होते हैं। इस आपत्ति के दो जवाब हैं। पहला, ये साम्प्रदायिक झगड़े राजस्थान में है भी नहीं और हुए भी नहीं। मद्रास में है भी नहीं और हुए भी नहीं। इसका कारण यह है कि राजस्थान में हिन्दुओं में जातिगत भावना कुछ अधिक प्रबल थी और कुछ अब भी है। मद्रास में ब्राह्मण और अब्राह्मण की भावना रही है और अब भी है। दूसरा जवाब यह है कि अगर मुसलमानों से होने वाला साम्प्रदायिकता किसी जादू से दूर हो जाय तो दूसरी साम्प्रदायिकताएं उसका स्थान ले लेंगी। जैसे पंजाब में मुसलमानों के हटते ही सिक्खों और हिन्दुओं में तनाव बढ गया। सिक्खों से होने वाला तनाव घटते ही जातिगत तनाव बढ गये। जाट का बनिये से तनाव दूसरी जगह नहीं है। पर हरियाणा में है क्योंकि वहां जाटों से तनाव रखने वाले दूसरे तत्व नहीं है। सो यह मानना गलत होगा कि भारत में साम्प्रदायिकता एक हो है कम से कम सात हैं। और शायद और भी हों एक के हटने से दूसरी पहली का स्थान ले लेगी।

सारा योरप जब ईसाई बन गया तो ईसाईयों में आपस में झगड़े शुरू हुए। शाखायें बन गईं और झगड़े होने लगे। इंगलैंड में ईसाईयों ने ईसाईयों को आग में डालकर जलाये थे। भारत में अगर दूसरी साम्प्रदायिकताएं हट जाये तो आर्य हिन्दुओं का झगड़ा सनातनी हिन्दुओं से हो जाये। भारत में अगर कोई यह सोचता हो कि मुसलमानों से छुटकारा मिलते ही यहां सुख शांति की मुरली बजेगी तो वह चिंतक अधूरा चिंतक है। आज विशाल हरियाणा की मांग का आधार क्या है? बस इसी में सोच लो। मुसलमान तो दूसरी साम्प्रदायिकताओं को दबाये हुए है। मुसलमानों द्वारा यह राष्ट्रीय सेवा है। हमें आभारी होना चाहिये। जो लोग मुसलमानों के पीछे पड़े हैं वे देश के, समाज के बड़े शत्रु हैं। देश की कठिनाइयों

को कृत्रिम रूप से बढ़ा रहे हैं। काश्मीर की समस्या को उलझा रहे हैं और पाकिस्तान के हाथ मजबूत कर रहे हैं। पाकिस्तान को मौका मिलता है हिन्दुओं को बदनाम करने का और देश को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का।

कुछ तत्वों का कहना है कि मुसलमानों में साम्प्रदायिकता बहुत है और साम्प्रदायिकता में पहल मुसलमान ही करते हैं। यह बात असलियत से सम्बन्ध नहीं रखती। दुनियां में कई दर्जन मुसलमानी देश हैं। उन देशों का रुख इस बात को साबित नहीं करता कि मुसलमान साम्प्रदायिक सबसे ज्यादा है। मिश्र, सीरिया, ईराक, अरब, कुआयत, इण्डोनेशिया, मलेशिया, मलाया, मोरक्को, ट्यूनिसिया, अलजेरिया, जोर्डन, लेबनन, अफगानिस्तान और न जाने कितने ही मुसलमान देश हैं। ये सब साम्प्रदायिकता से मुक्त हैं और हमारे मित्र है। बस एक पाकिस्तान को छोड़ दो। सो पाकिस्तान की साम्प्रदायिकता के कारण स्पष्ट है।

तो फिर इलाज क्या है? यह सिद्ध हो गया कि किसी भी सम्प्रदाय को दबाना, निकालना इलाज नही है। जिसका स्वभाव चितालु बन गया है, वह एक चिंता के हटाने से यानी बड़ी चिन्ता के हटाने से चिंता मुक्त नहीं हो सकता। दूसरी उपचिन्ताओं में से कोई एक चिन्ता उसका स्थान ले लेगी। इसलिये व्यापक इलाज की जरूरत है। वह क्या है? वह है समाजवाद। समाजवाद एक नई और तटस्थ विचारधारा है। पुराने पूर्वाग्रहों से मुक्त है। सब सम्प्रदायों के लिए समान स्तर है। समाजवाद ही हमारे समाज को सेक्यूलर बना सकता है। समाजवाद एक सेक्यूलर विचारधारा है। मजहब से इसका अंतर्विरोध है।

जैसे साम्प्रदायिकता की कई किस्में हैं, वैसे ही समाजवाद की कई किस्में हैं। समाजवाद एक प्रिय प्रणाली होने के कारण स्वार्थी लोगों ने समाजवाद को दूध और घी की तरह डाई लूट कर दिया है। मिक्स कर दिया है। अडल्टरेट कर दिया है। असली घी में डालडा मिला दिया है। दूध में पानी घोल दिया है। जैसे छाछ में कितना ही पानी मिलाओ, वह छाछ ही कहलायेगी। पर पतली छाछ पानी के बराबर ही होती है। बहुत से समाजवाद ऐसे हैं जो मजहबी सम्प्रदायों जैसे ही हैं और पूंजीवादी खराबियों से मुक्त नहीं हैं। असली समाजवाद है मार्क्सवादी समाजवाद, जिसे वैज्ञानिक समाजवाद भी कहते हैं। पूर्वी योरप आज इसी समाजवाद की ओर जा रहा है। हमारे पक्के और ईमानदार दोस्त पूर्वी योरप के देश ही हैं। वैज्ञानिक समाजवाद को सेक्यूलर समाजवाद भी कह सकते हैं। हमारा कल्याण इसी सेक्यूलर समाजवाद में है। हमारी सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक सब कठिनाइयों का निराकरण सेक्यूलर समाजवाद में है। श्री नेहरू को यही सेक्यूलर समाजवाद ठीक जचता था।

★

: पाठ चौबीस :

साम्प्रदायिक मारकाट की पृष्ठभूमि में

भारत में अनेक प्रकार की साम्प्रदायिकता है। सबसे बड़ी साम्प्रदायिकता हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच में है। शेष साम्प्रदायिकतायें इस बड़ी साम्प्रदायिकता के नीचे ढकी पड़ी है। साम्प्रदायिक दंगे और साम्प्रदायिक मारकाट इन्हीं दो सम्प्रदायों के बीच हुए हैं। इन दंगों का सुप्तावस्था का कारण और जागृतावस्था का कारण, ये कारण हैं। सुप्तावस्था के कारण सोये पड़े हैं। सैकड़ों बरसों के संस्कार पड़े हुए हैं। ये संस्कार मुसलमानों के राज के कारण शुरू हुए थे। राजा और प्रजा के सब झगड़ों को साम्प्रदायिक रूप दिया गया। हर्ष के बाद जो विदेशी आक्रमण हुए उन्हें साम्प्रदायिक रूप दिया गया। आठवीं सदी से अठाहरवीं सदी तक जितनी लड़ाइयां हुई उन सबको साम्प्रदायिक रूप दिया गया। केन्द्रीय सरकार और स्थानीय सरकार के झगड़े, एक स्थानीय सरकार दूसरी स्थानीय सरकार से झगड़ा, उत्तर पूर्व से हुए सभी विदेशी आक्रमण को साम्प्रदायिक रूप दिया गया। बात और संस्कार यहां तक बढ़े कि हिन्दु करे सो मुसलमान नहीं करे और मुसलमान करे सो हिन्दु नहीं करे। जीवन, मरण, खानपान, वेशभूषा, बालकटाई आदि सभी क्षेत्रों में एक दूसरे से उल्टी बातें होने लगी।

लेकिन यह संस्कारिक कारण गहरी नींद सोया है और जागता नहीं हैं। इसे कृत्रिम रूप से जगाया जाता है। अन्य देशों की तरह भारत में भी एक भूमिगत संसार है। कोई शहर जितना ही बड़ा है उसका भूमिगत संसार भी उतना ही बड़ा है। बल्कि कहना यों चाहिये कि भूमिगत संसार कई प्रकार के हैं। इन भूमिगत संसारों की जीवन प्रणालियां, इन भूमिगत ससारों के सोशल सिस्टम हमारी नोर्मल दुनियां से मेल नहीं खाती। हमारे देश मे भूमिगत दुनियां मुख्यतया दो किस्म की है। सेक्स और सम्प्रदाय की दुनिया। सो हमारे देश मे सम्प्रदाय की दुनियां भूमिगत है। इस दुनियां का जलवायु, सामाजिक जीवन, मानसिक चितन आदि हमसे मेल नहीं खाते। रात दिन साम्प्रदायिकता की बातें, अपनी श्रेष्ठता और दूसरे की नीचता पर रात दिन की चर्चा, ऊपरी दुनियां की, नोर्मल ससार की प्रत्येक घटना को साम्प्रदायिक रंग में पेंट करके भूमिगत दुनियां के सामने लाते रहना, यह पेंटिंग सोते जागते, उठते बैठते करते रहना, इस दुनियां का काम है। इस दुनियां के सदस्य खेतों में पानी नहीं देते, हल नहीं चलाते, खाई नहीं खोदते, भार नहीं ढोते। इनके एक ही काम है। वह पेन्टिंग। अच्छे अच्छे प्रभावकारी रंगो में पेंट करते रहते हैं। ऊपरी दुनियां से कच्चा माल, रो मटिरियल पहुंचाया जाता है। इस कच्चे माल की पक्की कताई-बुनाई यहां होती है। गांवो के प्रति घृणा का बीजारोपण इसी दुनियां में हुआ। इसी नरसरी में वह घृणा की पौध लगायी गयी था और उस महान् संत की जीवन लीला खत्म की गई थी। इसी दुनियां मे व्यक्ति विशेष को, घटना विशेष को देश विरोधी, समाज विरोधी, संस्कृति विरोधी होने की संज्ञा दी जाती है और कार्यक्रम तैयार होता है।

ये संगठित तत्व रात दिन विकृत और दूषित वातावरण तैयार करते रहते हैं। इन संगठित तत्वों को सुधारा जाय, समझाया

जाये, इनमें मानव भावना भरी जाये, देशभक्ति की सही लाईन बताई जाये। इसकी बड़ी आवश्यकता यही है। जितनी साम्प्रदायिक मार-काट है, उन सबके पीछे यही विषेला प्रचार है। इस अर्थ में सब हत्याएं, सब हिंसायें, सब झगड़े षडयंत्रों के फल हैं। सामाजिक कार्य कर्त्ताओं, राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं के सामने और सेक्यूलरवादियों के सामने यह एक बड़ा क्षेत्र है। यह बात ध्यान में रखनी है कि ओफि-शियल ढंग से यह काम नहीं हो सकता। ओफिशिल ढंग से इस काम में सफलता न मिलने का मुख्य कारण यह है कि अफसर लोग अन-ओफशिल ढंग से इन तत्वों से परोक्ष रूप में मिले रहते हैं। अधिकांश कर्मचारियों, विधायकों, वजीरों आदि की सहानुभूति जहां-तहां फिसल रहती है। जमी रहती है।

इस दंगे-फिसाद के बारे में अगली बात यह ध्यान में रखनी है कि जिस माता या बहिन को, ठेस पहुंची है, जिसका पुत्र या पति मारा गया हो, उसे पूरी सहायता दी जाय। ठीक उसी ढंग से और ताकिदी से सहायता दी जाय जिस ढंग से सैनिक की माता, पिता, पत्नी आदि को दी जाती है। इस सहायता को प्राथमिकता दी जाय। इस इमदाद पर नियम कायदों के अनुसार कारवाई की जानी चाहिये।

इन दंगों के बारे में बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि इस समय इन दंगों को गई-आई बात मान लेते हैं और हुआ सो हुआ कोई बात नहीं। लो अब शांति स्थापित हो गई। साम्प्रदायिक भावना को क्यों बढाया जाये। चलो छोड़ो इन अपराधियों को। यह रुख, यह अटीच्यूड बहुत ही हानिकारक है। यह रुख देशद्रोही है। जो कसूरवार पाये जायें उन्हें सजा मिले। ऐसा रुख हमारा होना चाहिये। कानून अपने पूरे मार्ग पर चले और मंजिले मकसूद पर पहुंचे।

अगली बात यह है कि ये दंगे-फिसाद हमेशा बड़े शहरों में होते हैं। इन्हीं बड़े शहरों में फ्लाइंग स्क्वेड उड़न दस्ते कायम किये जायें जो सिर्फ इन्हीं साम्प्रदायिक मामलों में विशेषज्ञ हों, एक्सपर्ट हों, इन्हें ट्रेनिंग मिले इसी बात की। गृह मंत्रालय के अन्तर्गत इसका कार्यालय अलग हो इसको डील करने वाले कर्मचारी अलग हों। इन मामलों की फाइलें रखी जाये। ऐसा हो सकता है कि साम्प्रदायिकता किसी दूसरे शहर में खिसक जाये या पैदा हो जाये। गतिविधि पर ध्यान रखा जाये। ऐसे मौके पर आम बदमाश भी अधिक जागृत और सक्रिय हो जाते हैं और व्यक्तिगत बैर भावना वश बदले की कोशिश में दौड़ धूप करते हैं। ऐसे तत्व आग लगाना, दुकानें लूटना, सेक्स के अपराध करना आदि की घटनाओं का तांता बांध देते हैं। लूट और सेक्स के मामले तो इन दंगों की विशेषताएं बन गई है। इसलिये गुण्डा तत्वों को सबसे पहले वश में किया जाये।

★

: पच्चीसवां पाठ :

घृणा और गांधीजी

सेक्यूलरवाद का उदय साइंस और साम्प्रदायिकता से हुआ। साइंस के पोजोटिव तत्व और साम्प्रदायिकता के निगेटिव तत्व मिले और सेक्यूलरवाद का जन्म हुआ। साइंस का सकारात्मक सहयोग और साम्प्रदायिकता का नकारात्मक सहयोग मिला तो समाज के कल्याण में सेक्यूलरवाद का आगमन हुआ।

साम्प्रदायिकता का सलाहाकार है नफरत। घृणा ही साम्प्रदायिकता का मोटिव फोर्स है, तेल है, पेट्रोल है, बिजली है। जितने जुल्म हुए हैं समाज में वे सब घृणा के प्रचार से हुए हैं। एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय के विरुद्ध घृणा और मजाक का प्रचार करता है। दूसरे मजहब की हर बात का, हर गतिविधि का उल्टा अर्थ लगाया जाता है। किसी आदत, किसी रिवाज को बुरा बताना हो और एकदम छुड़ाना हो तो कह दो अरे! ऐसा करते हो। ऐसा तो उस मजहब वाले करते हैं। बस फिर क्या! तीर सीधा लगता है। खूंटो के सिर पर हथौड़ा लगता है और खूंटो सोधी भीत में जाती है। हत्यायें और हत्याओं से मिलती दूसरी घटनाएं आकस्मिक नहीं होती है। घृणा की मादकता से जब व्यक्ति और समूह परिपूर्ण हो जाते हैं तब हिंसा के रूप में उसका विस्फोट होता है। घृणा से भरे

आदमी का विवेक दब जाता है और घृणा ही स्टीअरिंग व्हील पर चालक पहिये पर आसीन हो जाती है। अंग्रेजी में कहावत कितनी ठीक है Hate is a bad Counsellor.

गांधीजी हिंसा के कई तत्व करते थे। इन तत्वों में घृणा सबसे ऊपर की। घृणा हिंसा का सबसे प्रमुख रूप है। गांधीजी ने इस घृणा के विषय में एक बड़ा आविष्कार किया कि बुराई से घृणा करो, बुरे व्यक्ति से घृणा मत करो। घृणा करने वाला और घृणा का प्रचार करने वाला दोनों हिंसक हैं। यदि कहीं घृणा का प्रचार हो रहा है तो समझनी कि हिंसा की तैयारी हो रही है। हिंसा नाम का बारूद बन्दूक में भर दिया गया है तो उसका तो विस्फोट होगा। घृणा से भरा व्यक्ति एक लोडिड गन है। भरा बन्दूक है। इसलिये घृणा का प्रचार करने वाले को हत्या की तैयारी में अटम्पट टू मरडर में पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाना चाहिये। घृणा को हत्या का तीखा हथियार बेरन मानना चाहिये। साम्प्रदायिकता के सम्बन्ध में अगर कोई कानून बने तो घृणा का प्रचार उन बातों में हो जिनमें पुलिस को अधिकार होता है कि पुलिस मजिस्ट्रेट की आज्ञा बिना यानी वारंट बिना ही प्रचारक को और प्रचार सुनने वालों को गिरफ्तार करले।

गांधीजी ने समाजशास्त्र में कई योगदान दिये हैं जिनमें घृणा को हिंसा माना जाय, किसी व्यक्ति से घृणा न करके बुराई से घृणा करो, उनकी यह शिक्षा प्रमुख है। गांधीजी सेक्यूलरवादी थे। सेक्यूलरवाद का अर्थ संकीर्ण और विस्तृत तथा व्यापक और बीच का, तीन मुख्य हैं। संकीर्ण अर्थ वह जिसमें सेक्यूलर स्टेट तक ही इसका अर्थ सीमित है। राज्य तटस्थ हो, वह किसी धर्म के पक्ष की

समर्थन न दें। बस इतना ही अर्थ लिया जाय। बीच के अर्थ में सेक्यूलरवाद का यह अर्थ है कि अपने अपने धर्मों को पूरी सजधज और मध्ययुगी शैली पर माना जाय पर दूसरे धर्म को भी सह लिया जाय। दूसरे धर्मावलम्बियों पर अत्याचार न किया जाय। सहिष्णुता इस बीच वाले अर्थ की विशेषता है। गांधीजी इस बीच वाले अर्थ में सेक्यूलरवादी थे। शुद्ध हृदय व्यक्ति थे। किसी के विरुद्ध किसी भी दशा में घृणा न की जाय। वे सबसे ममता रखते थे। इसलिए सभी समझदार लोग उनसे ममता रखते थे, चाहे वे किसी धर्म को माने। पर क्योंकि सब व्यक्ति गांधीजी नहीं बन सकते, कोई भी समाज इस समय गांधीवादी होने की परिस्थिति में नहीं है, इसलिये सेक्यूलरवाद का तीसरा अर्थ लेना चाहिये। यानी संस्था के रूप में धर्म को मानना स्वीकार ही नहीं करना चाहिये। संस्थागत धर्म एक बुराई माना जाये और नफरत तथा घृणा को चीज माना जाय। घृणा स्वभाव की यही सार्थकता है।

आज हमारे समाज में जो शिव सेना, तमिल सेना, हिन्दी सेना आदि के नाम से जो संगठन खड़े किये जा रहे हैं, उन्हें वास्तव में सेना ही मानना चाहिये। सेना शब्द को किसी अलंकृत अर्थ मे नही लेना चाहिये। इन सेनाओं के पास घृणा नाम का जबरदस्त हथियार है। घृणा नाम का यह हथियार परमाणु बम्ब है। इस संदर्भ मे सामूहिक संहारक बम्ब दो प्रकार के हैं आध्यात्मिक परमाणु बम्ब स्पीरीचुअल अटम बम्ब तथा भौतिक अटम बम्ब। घृणा नाम का यह वेपन, इसलिये बम्ब की श्रेणी में आता है। चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष माओत्से तुंग कहता है कि सबसे बड़ा हथियार अटम बम्ब नहीं है। सबसे बड़ा हथियार जनता है। जनता से यहां अर्थ है घृणा नाम के हथियार से सुसज्जित जनता। इसलिये हमें समय

पर जाग जाना चाहिये और संगठित रूप में घृणा के प्रचार करने वाली संस्थाएं बन्द हो जानी चाहिये। तथाकथित सेना ही क्यों? और भी बहुत से संगठन हैं जो घृणा का प्रचार करते हैं। सामूहिक हत्याओं के प्रारम्भ को देखो तो मालूम होगा कि दो छोहरों का झगड़ा दो क्षणों में ही सारे शहर को मोर्चों पर ला खड़ा करता है। क्षणों में हत्याएं शुरू हो जाती है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि सेनाओं और अन्य संगठनों द्वारा घृणा के हथियारों से अपने आपको तैयारी की परिस्थिति में रख छोड़ा था। जिसे हम स्वाभाविक हलचल, स्पोंटेनियस अपराइजिंग (Spontaneous uprising) कहते हैं वह वास्तव में स्पोंटेनियस नहीं होता है। घृणा का प्रचार पहले से चला हुआ होता है। जनता या जनता का भाग विशेष घृणा के हथियार से पहले से ही सुसज्जित कर दिया जाता है।

गांधीजी की महान् शिक्षा को स्वीकार करके हमें घृणा को हिंसा मानना चाहिये और इसे फौरन बंद करना चाहिये।

★

: छब्बीसवां पाठ :

भारतीय सेक्यूलरवाद का बाहरी रूप

हमारे सेक्यूलरवाद का बाहरी रूप बहुत शानदार है। विदेशी विजिटर दांतों तले उगुली दबाते हैं। विदेशी राजदूत स्वर्गीय राष्ट्रपति डाक्टर जाकिर हुसेन को अपने प्रमाण-पत्र पेश करते थे। अराजकीय विजिटर भी राष्ट्रपति भवन में डाक्टर साहब के दर्शन करते थे। बाद में शाहजहां के बनाये लाल किले में नागरिक अभिनन्दन होता है। अंग्रेजों का बनाया राष्ट्रपति भवन और मुसलमानों का बनाया लाल किला, इसके बाद गांधीजी, नेहरूजी आदि की समाधियों पर फूल मालायें। दिनचर्या पूरे सेक्यूलरवाद से आरम्भ होती है। इसके बाद संघीय मन्त्रियों से भेंट होती है। तो देखते हैं कि जनाब फकरूद्दीन अली अहमद, श्री जगजीवनराम, मिस्टर टोमस, सरदार स्वर्णसिंह, चौधरी शेरसिंह, ठाकुर दिनेशसिंह। पूरा सेक्यूलरवाद! राज्यों के मंत्री परिषद सेक्यूलरवाद में केन्द्र से भी आगे है। दिल्ली से चिपका हुआ हरियाणा है। उसके केबिनेट में पूरा सेक्यूलरवाद है। इसी प्रकार दूसरे पन्द्रह राज्य। विधान मण्डल। सेक्यूलरवाद का आदर्श। कार्यपालिका और विधानपालिका से बाहर जायें तो सरकार के तीसरे अंग पर दृष्टि डालें तो देश के सर्वोच्च न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मुसलमान हैं। कितने

राज्यपाल भी मुसलमान रह चुके हैं। देश की रक्षक सशस्त्र सेना में १९६५ की पाकिस्तान की लड़ाई में हवलदार अब्दुल हमीद को सेना का सर्वोच्च ईनाम वीरता का मिला और वह इनाम मला दुनियां के मजहबी देश इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ वीरता दिखाने में। इससे पहले १९४७ में कश्मीर में पाकिस्तान से ब्रिगेडियर मोहम्मद उसमान भो वीर गति को प्राप्त हुए थे। संगीत की दुनियां मे रफी को सुनकर आज करोड़ों हिन्दु उसको प्रशंसा के गीत गाते हैं। खेल की दुनियां में पटौदी का नबाब आज देश की क्रिकेट टीम का कैपटिन है।

शिक्षा जगत में दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी, देव वद का दरुल उलुम, हैदराबाद का दैरुत-उल-मुआरिफ-उल-नौमनिया, लखनऊ का इदर तालीमात इसलामी और गुजरात की मजलिसे इल्मामी आदि संस्थाएं मुसलमानी दुनिया में प्रसिद्ध हैं।

विश्व पंचायत राष्ट्र संघ (यू. एन. ओ.) में भूतपूर्व शिक्षा मंत्री भारत सरकार, जनाब एम. सी. छागला के भाषण सुन कर क्या कोई देश कह सकता था कि भारत सेक्यूलर स्टेट नहीं है और कश्मीर भारत का अंग नहीं है।

लेकिन भारत के भीतर भ्रमण करो। देखो क्या मिलता है ? प्रताप, शिवाजी, छत्रसाल आदि मध्ययुगी सामंतों के नाम से किस दुनिया का पुनर्जीवन किया जा रहा है। अचम्भे की बात यह है कि सेक्यूलर सरकार के सदस्य इस प्रचार का कोई जवाब नहीं देते। नेताओ में इतनी हिम्मत नहीं जो यह कह सके कि ये सामंती सरदार

केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध अपने स्थानीय सामंती हकों के लिए लड़ते थे। धर्म की भावना अगर थी तो गौण थी। केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध ये लड़ाईयां क्षेत्रीय भावना से और सामती स्वार्थों से प्रेरित था। क्या हम आज क्षेत्रीय भावना के विरुद्ध नहीं लड़ रहे हैं और सामंती तत्वों को अलग करने में नहीं लगे हुए हैं। केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि इतिहास को सही तरीके से लिखाये।

भारत के भीतर भ्रमण करके आगे क्या देखते हैं। मध्य युग के इतिहास को और मध्य युग की संस्कृति और साहित्य को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न देखते हैं। कुछ जोशीले तत्व तो यहां तक कहते हैं सातवीं सदी के बाद से लेकर १९४७ तक सारा ही इतिहास हटा दिया जाय और इसकी जगह ईसा पूर्व दो हजार वरस से लेकर सातवीं सदी के हर्ष तक के काल की सही प्रतिलिपि रख दी जाय। यानी आर्यों के आगमन से लेकर रामायण, महाभारत के काल में से गुजरते हुए मौर्य काल, गुप्त काल, हर्ष आदि तक की सही प्रतिलिपि भारत भूमि पर गूंद से चेप दी जाय।

इस मस्ती भरे प्रचार का संगठित उत्तर कोई नहीं देता कि प्राचीनवाद का यह सिद्धांत गलत है। मोटे रूप से मजहब एक हो सकता है। पर उस भारत में एक राष्ट्रीयता जैसी कोई चीज नहीं थी। हम आज एक राष्ट्र बन रहे हैं। पर ये प्राचीनवादी इसमें बाधा डाल रहे हैं। वैदिक जमाने के गडरियों को ही हम अपना पूर्वज मानते हैं। यह कभी नहीं सोचते कि शिवजी की जटा से निकला गंगा जल और बंगाल की खाड़ी में गिरता गंगा जल एक नहीं है। उत्तर प्रदेश के खेतों को सींचने वाला गंगा जल वह नहीं है जो हिमालय की सफेद बर्फ से निकला था। मानव समाज एक है।

यह जो बाहरी रूप और भीतरी रूप का विरोधाभास यह एकीकरण की प्रक्रिया में बहुत बाधा डालती है। दोनों रूपों में एकता स्थापित करनी चाहिये।

: पाठ सताइस :

सामाजिक वर्ग और सेक्यूलरवाद

सेक्यूलरवाद के दर्शन के अनुसार जिन वर्गों से सेक्यूलरवाद की आशा की जाती है वे वर्ग हैं:— औद्योगिक मजदूर वर्ग, टेक्नोलोजिस्ट जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, मोनोपोली कैपिटेलिस्ट जैसे टाटा, बिरला आदि।

मजदूर वर्ग के सेक्यूलर होने के कई कारण है। एक, मजदूर वर्ग कम्यूनिस्ट पार्टियों के सम्पर्क में ज़्यादा रहता है। दो, सब सम्प्रदायों के मजदूर अपने मालिक से झगड़ने में लगे रहते हैं और इस प्रकार उनमें वर्ग चेतना ज्यादा होती है और मजहब चेतना कम होती है। मंदिर, मस्जिद में जाने की और पूजा-पाठ करने को उन्हें फुरसत कम मिलती है आदि।

परन्तु सेक्यूलरवाद का दर्शन दूसरे सामाजिक विज्ञानों की तरह कई शर्तों सहित सच होती है। सामाजिक विज्ञानों का सत्य सापेक्ष होता है। मजदूरों का सेक्यूलर होना इसी नियम में आता है। यहां प्रचार का महत्व साफ और स्पष्ट नजर आता है। मजदूरों में यदि वामपक्षी प्रचार नहीं होता है तो साम्प्रदायिक दलों द्वारा वहां प्रवेश हो जायेगा और मजदूरों जैसी अल्पज्ञों की जमात साम्प्रदायिक

हो जायेगी। पीछे बीसवें और इक्कीसवें पाठ में सेक्यूलरवाद के दर्शन में स्पष्ट किया गया हैं कि किसी दर्शन की, जीवन प्रणाली की स्थापना के लिए ओबजेक्टिव और सबजेक्टिव दोनों परिस्थितियों का होना जरूरी है। सब्जेक्टिव परिस्थिति से यहां मतलब प्रचार से है। वाम पक्षियों के प्रचार का अभाव होने से अल्पज्ञों के खाली दिमागों में साम्प्रदायिक चेतना भर दी जायेगी। बस। मौका मिलते ही यह अल्पज्ञों का झुंड वह मारकाट शुरू करेगा कि असली सम्प्रदायवादी भी दांतों तले उंगली दबायेंगे। पिछले वर्ष और इस बरस राऊरकेला, जमशेदपुर, रांची आदि शहरों में इंडस्ट्रियल लेबर ने ही साम्प्रदायिक दंगों में हिस्सा लिया।

जहां तक हिन्दुओं की जातियों के साम्प्रदायिकता का प्रश्न है, यह पिछड़ी जातियों में ही हिंसा का रूप धारण करता हैं। जैसे इस बरस नागपुर में हरिजनों और सवर्ण हिन्दुओं में हिंसात्मक झगड़े हो गये।

देश का औद्योगीकरण और वैज्ञानिकीकरण सेक्यूलरवाद में सहायक जरूर है, पर कोई भी विचारधारा बिना संघर्ष और संगठन के स्थापित नहीं होती। प्रचार, संगठन और संघर्ष की जरूरत हमेशा रहती है। चाहे ओबजेक्टिव परिस्थिति कितनी अनुकूल हो, बिना संघर्ष और संगठन के नई विचारधारा की स्थापना यानी नई व्यवस्था की स्थापना नहीं हो सकती।

दूसरी श्रेणी के लोग यानी बुद्धिजीवी लोग सेक्यूलरवादी सिर्फ अपनी जानकारी के कारण होते हैं। वे जानते हैं कि साम्प्रदायिकता और संस्थागत धर्म केवल अंधविश्वास है।

मोनोपोली कैपिटैलिस्ट लोगों में भी साम्प्रदायिकता कम पाई जाती है। इसका कारण यह है कि उनका रुख बहुत अंतर्राष्ट्रीय होता है। वे विदेशों में भ्रमण करते हैं, विदेशी पूंजीपतियों से वे निरन्तर सम्पर्क रखते हैं। विदेशों में भी वे पूंजी लगाने की योजना बनाते रहते हैं। भारतीय पूंजीपति अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया आदि क्षेत्रों में पूंजी लगाने की कोशिश में है। इसलिए वे साम्प्रदायिक संकीर्णता से कुछ ऊपर उठ जाते हैं।

सबसे अधिक साम्प्रदायिकता पाई जाती है निम्न श्रेणी के पूंजीपतियों में। व्यापारी यानी छोटे दुकानदार, पनवाड़ी, थोड़े पढ़े टीचर, साम्प्रदायिकता से सताये शरणार्थी आदि में साम्प्रदायिकता विशेष रूप से पाई जाती है। निम्न पूंजीपति हमेशा कट्टरता के शिकार होते हैं। गांवों के मंझले किसान इसी श्रेणी में आते हैं, परन्तु प्रचार के अभाव में वे कट्टरता से बचे रहते हैं।

★

: पाठ अठाइस :

साम्प्रदायिकता को रोकने के लिए गुप्तचर विभाग जरूरी

गत वर्ष श्रीनगर में राष्ट्रीय एकता परिषद ने सर्वसम्मति से साम्प्रदायिकता के प्रसार को रोकने के लिए जिस रिपोर्ट को मंजूर किया उसमें एक विशेष गुप्तचर विभाग का संगठन तथा परिषद की एक स्थाई उपसमिति का निर्माण भी शामिल है जो साम्प्रदायिकता की समस्या पर समय-समय पर सरकार को सुझाव देगी।

इस रिपोर्ट में निम्नलिखित बाते हैं—

"चूंकि साम्प्रदायिक गड़बड़ी, साम्प्रदायिक तनाव से ही उत्पन्न होती है इसलिए राज्य तथा केन्द्रीय स्तर पर एक सजग गुप्तचर विभाग की जरूरत है। इस विशेष गुप्तचर विभाग में खास तरह से प्रशिक्षित और निष्पक्षता बरतने वाले लोगों की जरूरत है। इन विभागों की स्थिति का मूल्यांकन करके जिलाधीश और आरक्षी उपअधीक्षक को बराबर इसकी रिपोर्ट देनी चाहिये। जिलाधिकारियों को इस रिपोर्ट की जांच करके निरोधात्मक कारवाई करने की जिम्मेवारी सौंपी जानी चाहिये। अफवाहों पर कड़ी नजर रखनी चाहिये।

पूर्ती करने वाले स्थानों पर ऐसी सभा करने पर पाबंदी होनी चाहिये जो साम्प्रदायिक गड़बड़ो फैलाने के लिए की जाती हो।

"सरकार को यह अधिकार होना चाहिये कि वह ऐसे प्रकाशनो पर रोक लगा सके जिसमें साम्प्रदायिक गड़बड़ी या घृणा उत्पन्न करने को कोशिश की जाती हो। पंजाब प्रेस एक्ट १९६५ के अनुसार इस शक्ति का भी प्रयोग होना चाहिये।

"साम्प्रदायिक उपद्रवों को रोकने के लिए जिलाधिकारियों पर व्यक्तिगत जिम्मेवारो होनी चाहिये सहो और प्रभावकारी कारवाई न करने पर इसे अधिकारियों की भूल मानो जायेगो और उनके साथ वैसा हो बर्ताव किया जायेगा। जरूरत पड़ने पर नौकरी के कानूनों में संशोधन भी किया जा सकता है।

"उपद्रव फैलाने वालों की तुरन्त जांच होनो चाहिये और उस पर सख्ती से कानूनी कारवाई की जानी चाहिये। इसके लिए विशेष अदालतों की भी स्थापना की जायेगी।

'भारतीय दंड विधान संहिता की धारा १५३ (ए) में संशोधन किया जाना चाहिये और उसमें प्रयुक्त शब्दों की फिर से व्याख्या होनी चाहिये और उनको परिभाषा स्थिर होनी चाहिये। ऐसा सांप्रदायिक उपद्रव सार्वजनिक प्रतिनिधत्व कानून के लिये एक अयोग्यता के रूप में समझा जाना चाहिये।

"साम्प्रदायिक अफवाहों को भारतीय दंड विधान संहिता के अनुसार एक अपराध मानना चाहिये। समाचार-पत्रों के अतिरिक्त ऐसे अन्य प्रकाशनों में जिनसे साम्प्रदायिक अफवाह फैलने की आशंका हो, उन पर इसी धारा के अन्तर्गत कारवाई की जानी चाहिये।

"थाना, जिला तथा राज्य स्तर पर नागरिक समितियां बननी चाहिये। त्यौहारों को शान्तिपूर्वक ढंग से सम्पादित कराने के

लिए धार्मिक नेताओं की भी राय लेनी चाहिये। इन लोगों को ऐसी कोशिश करनी चाहिये कि त्यौहारों में सभी सम्प्रदाय के लोग भाग ले सकें।

शैक्षणिक स्तर पर

"समिति ने प्राथमिक, माध्यमिक तथा कॉलिज के शिक्षकों से यह अपेक्षा रखी है कि उन लोगों को धर्म-निरपेक्षता-विरोधी-नीति से अलग होनी चाहिये। क्योंकि छात्रों के जीवन-निर्माण का महत्वपूर्ण दायित्व उनके कंधों पर है। राज्य सरकारों को तथा विश्वविद्यालयों को अपने कानूनों में जरूरत के अनुसार सुधार करना चाहिये जिससे साम्प्रदायिक उपद्रव में दोषी पाये जाने वाले शिक्षकों को सेवा से निलम्बित करने या हटाने की व्यवस्था हो सके।

"रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि परिषद की एक उपसमिति भी गठित की जाए जो राष्ट्रीय स्तर पर समय-समय पर साम्प्रदायिक स्थिति का विश्लेषण करे, सिफारिशों के लागू होने के बाद हुई प्रगति का अध्ययन करे और सरकार को इस सम्बन्ध में सुझाव दे।"

★

सेक्यूलरवाद का घोषणा-पत्र

हमारे राष्ट्रीय जीवन की मूल भावना समान नागरिकता अनेकता में एकता, धर्म स्वतंत्रता, धर्म निरपेक्षता, समानता, सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय एवं सभी सम्प्रदायों में भ्रातृत्व भावना है।

☆ साम्प्रदायिक विद्वेष और क्षेत्रीय भेदभाव को हतोत्साहित करके और समाज के पथभ्रष्ट तत्वों को हिंसा के मार्ग से हटा कर

☆ विशेष रूप से सहिष्णुता और सद्भावना के सिद्धांतों का सक्रिय एवं शक्तिशाली प्रचार करके

☆ राष्ट्रीय एकता और संगठन के लिए सभी निर्माणकारी शक्तियों को संगठित करके और उन्हें नेतृत्व, प्रोत्साहन एवम् प्रेरणा प्रदान करके तथा

☆ सामुदायिक क्रियाशीलता के लिए समुचित उपाय अपनाकर और भ्रातृत्व भावना भर कर वे संपूर्ण भारत के नागरिकों में समान नागरिकता की भावना उत्पन्न करें और राष्ट्रीय उन्नति एवं विकास के लिए जनता का जीवन स्तर उन्नत करने का प्रयत्न करें।

★

: पाठ उन्नतीस :

छात्रों और औद्योगिक मजदूरों में सेक्यूलरी भावना

समाज वैज्ञानिकों और जनसाधारण में भी यह धारणा पाई जाती है कि छात्रों में, बुद्धिजीवियों में तथा विशेषकर औद्योगिक मजदूरों में सेक्यूलरी भावना प्रबल रूप से पाई जाती है। इन तीनों वर्गों में से छात्रों और बुद्धिजीवियों का जहां तक सम्बन्ध है, इन दोनों वर्गों के सामाजिक स्रोत का इन पर ज्यादा प्रभाव होता है। जिस वर्ग में से वे आये हैं जहां उनके सगे सम्बन्धी है, वैसा ही उनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण होता है। पर क्योंकि मजदूर हमेशा मजदूर परिवार से ही आता है, इसलिए मजदूर का दृष्टिकोण पुराने संस्कारों से प्रभावित नहीं होकर, वह नये विचारों का हिमायती होता है। प्रगतिशील होता है और मजदूर मात्र के मजदूरी सम्बन्धी दानों पर और राजनैतिक बातों पर ही उसका ध्यान केन्द्रित होता है।

यह वर्ग सुसंगठित होता है, कारखाने में, फैक्टरी खान आदि में अपने जीवन की सुख सुविधाओं को सोचता है। साथ ही राजनैतिक चेतना भी उसमें आती रहती है और वह चाहता है कि लोक सभा और विधान सभाओं में उसके प्रतिनिधि हो जिससे कि

उसके मजदूरी सम्बन्धी हितों की रक्षा हो सके। वह यह भी चाहने लगता है कि उसके प्रतिनिधियों की सरकार बन जाय तो और भी अच्छा। इस प्रकार मजदूर के विचारों में आर्थिक और राजनैतिक विचारधारा का आधिपत्य हो जाता है साम्प्रदायिक भावना क्षीण हो जाती है। परन्तु शर्त यह है कि कारखानों का जीवन आंदोलनमय होना चाहिये। संघर्ष चलते रहना चाहिये। कारखाने के दोनों वर्गों में संघर्ष चलते रहना चाहिये। संघर्ष में ही भ्रातृ भावना का उदय और विकास होता है। संघर्ष नहीं तो वर्गीय भावना ही नहीं।

सिद्धांत रूप में यह बात सही है कि मजदूर में साम्प्रदायिक भावना की न्यूनता और सेक्यूलरी का आधिक्य पाया जाता है। परन्तु इस सिद्धांत के कुछ अपवाद भी हैं। चाहे यह अपवाद अल्पकालिक ही हो। मजदूर देहाती ग्रामीण क्षेत्र से आया हो और छुट्टी छपाटी के कुछ महीने अब भी उनमें बिताता हो। मजदूर जन जाति से आया हो और अब भी कुछ महीने उन्हीं में बिताता हो। वामपक्षी दलों द्वारा मजदूर संगठित न हो। कारखानों का जीवन संघर्षमय नहीं हो। समाज वैज्ञानिकों को याद रखना चाहिये कि वस्तुगत परिस्थितियां ही काफी नहीं है। मनोगत परिस्थितियां भी उतनी ही आवश्यक है। संगठन, संघर्ष, विचारों का प्रचार, भविष्य के कार्यक्रम का प्रचार आदि मनोगत बातें सबजेक्टव बातें ही उतनी ही आवश्यक है जितना मजदूरों का असंतोष और दुखी जीवन।

१९६७ में रांची में साम्प्रदायिक दंगे हुए। कहां हुए? दंगों का केन्द्र था हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन (H.E.C.) के कारखाने। दूसरा केन्द्र था मेडिकल कालेज। इसके दो बरस बाद

इन्दौर में भी यही हुआ। इन्दौर में जून १९६९ में पहलवानों का साम्प्रदायिक झगड़ा वहां के सूती कारखानों में पहुंच गया। दो चार दिनों के बाद गली-कूंचों में तो शान्ति हो गई, पर कारखानों में यह साम्प्रदायिक झगड़ा किसी न किसी रूप में महीने से ऊपर तक चलता रहा।

छात्रों और बुद्धिजीवियों का जहां तक सम्बन्ध है, यह बात मान्यता प्राप्त है कि इन वर्गों में सब तरह के लोग पाये जाते हैं। इंडोनेशिया के छात्रों में प्रतिक्रियावादियों का साथ दिया तो फ्रांस में १९६८ में छात्रों ने बिल्कुल उल्टा किया। फ्रांस के छात्रों ने दुस्साहसवाद को अपनाया।

छात्रों में दुस्साहसवादी, साहसवादी यानी प्रगतिशील, प्रतिक्रियावादी आदि सभी तरह के विचार पाये जाते हैं। समाज वैज्ञानिकों को यह ध्यान में रखना चाहिये कि जन शिक्षा के आगमन से छात्र समाज के आन्दोलनों में अधिकाधिक भाग लेंगे। मजदूरों की तरह ये भी एक ही जगह रहते है, इसलिये जल्दी ही संगठन बना लेते हैं। परन्तु यह ध्यान में रहे कि छात्रों के आन्दोलन हमेशा स्पोंटेनियस (Spontaneous) होंगे क्योंकि इनके पीछे कोई तैयारी, सुपरिभाषित उद्देश्य नहीं होंगे। छात्रों के आंदोलन अस्थाई, अस्थिर और अल्पकालीन होंगे। रांची में मेडिकल कॉलिज के छात्रों ने जो किया उससे यह प्रगट है कि संयोगवश प्रतिक्रियावादी छात्र अचानक नेतृत्व में आ गये। इसी प्रकार संयोगवश कहीं प्रगतिशील छात्र भी अचानक आगे आ सकते हैं।

मजदूरों में अगर सेक्यूलरी भावना की कमी है तो समझना चाहिये कि कोई विशेषता है। रांची में हैवी इंजीनियरिंग

नगमिक मजदूर अधिकांश रूप में आदिवासी और ग्रामीण थे। यानी कच्चे मजदूर थे। इसी प्रकार इन्दौर में भी मजदूर ग्रामीण क्षेत्र के अधिक हैं। उनमें साम्प्रदायिकता के साथ-साथ जातिवाद भी है। इन्दौर की चार मिलों में लगभग सोलह हजार (१६०००) मजदूरों में पांच सौ (५००) मजदूर मुसलमान और शेष पन्द्रह हजार पाँच सौ मजदूर हिन्दू थे। हिन्दू मजदूरों ने कहा कि हम मुसलमान मजदूरों के साथ काम नहीं करेंगे। लगभग तीन सप्ताह से हिन्दू अकेले ही काम पर थे। मुसलमानों के आने पर वे छोड़कर चल देते थे। यह असहयोग आंदोलन का समझो या सत्याग्रह का समझो नया रूप था। हिन्दू मजदूर मुसलमान मजदूरों को आने से रोकते नहीं थे। सिर्फ वे काम छोड़ देते थे। इस प्रकार इस असहयोग से, बहिष्कार से मुसलमानों को काम से वंचित रखा। मजदूरों की ग्रामीण पृष्टभूमि और प्रगतिशील ट्रेड यूनियन लीडरों का अभाव इस नये सामाजिक दृश्य का कारण था। साम्प्रदायिकता और कट्टर राष्ट्रवाद अगर मजदूरों में है तो समझो कोई विशेषता है और नियम का अपवाद है। कुछ अंश तक जैसाकि ऊपर बताया गया है कि संगठन, प्रचार, संघर्ष आदि मनोगत परिस्थितियों की कमी है।